

भारत सरकार Government of India

वित्त मंत्रालय Ministry of Finance

वित्त मंत्रालय से संबन्धित वित्त संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की चालीसवीं रिपोर्ट, 17वीं लोक सभा की सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन द्वारा लोक सभा में दिया जाने वाला वक्तव्य

STATEMENT BY SMT. NIRMALA SITHARAMAN, MINISTER OF FINANCE IN THE LOK SABHA REGARDING THE STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS – 40<sup>TH</sup> REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE (2021-22), 17<sup>TH</sup> LOK SABHA, RELATING TO THE MINISTRY OF FINANCE.

अगस्त, August, 2022

विषय- सूची		INDEX	
क्रम विषय वस्तु संख्या	पृष्ठ संख्या	SI Contents No.	Page No.
1. श्रीमती निर्मला सीतारामन, वित्त मंत्री द्वारा वक्तव्य	i	Statement by Smt. Nirmala Sitharaman, Minister of Finance	i
2. अनुबंध - दिनांक 22 मार्च, 2022 को लोक सभा/राज्य सभा में प्रस्तुत वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वितीय सेवाएं लोक उद्यम तथा निवेश एवं लोक परिसंपति विभाग) की 2022-23 की अनुदानों की मांगों से संबद्घ वित्त संबंधी स्थायी समिति की चालीसवीं रिपोर्ट में सन्निहित सिफ़ारिशों/टिप्पणियों पर की गयी कार्यवाई रिपोर्ट।	1-35	2. Annexure – Action Taken Report on the Recommendations/Observations contained in the 40 <sup>th</sup> Report of the Standing committee on Finance on Demands for Grants 2022-23 of the Ministry of Finance (Departments of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services, Public Enterprises and Investment and Public Asset Management) presented to Lok Sabha/laid in the Rajya Sabha on 22nd March, 2022.	39-66
3. अनुबंध- II	36	3. Annexure-II	67
4. अनुबंध- III	37	4. Annexure-III	68

.

श्रीमती निर्मला सीतारामन, वित्त मंत्री द्वारा लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 73-क के तहत दिनांक 01 सितंबर, 2004 की लोक सभा बुलेटिन भाग-।। के तहत माननीय सभापति, लोक सभा के निदेश के अनुसरण में अनुदान की मांगों (2022-23)

के संबंध में वित्त से संबंद स्थायी समिति (17वीं लोक सभा)

की 40वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में दिनांक 08.08.2022 को लोक सभा में दिया जाने वाला वक्तव्य

में, माननीय सभापति, लोक सभा के निदेश के अनुसरण में, आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, वितीय सेवाएं विभाग, लोक उद्यम विभाग एवं निवेश और लोक आस्ति प्रबंधन विभाग से संबंधित वित्त से संबद्ध स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) की 40वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देना अपना सौभाग्य मानती हूं।

वित्त मंत्रालय की अनुदान मांगों (2022-23) की जांच से संबंधित वित्त से संबद्ध स्थायी समिति (17वीं लोकसभा) की 40वीं रिपोर्ट दिनांक 22 मार्च, 2022 को लोक सभा में रखी गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया था। समिति द्वारा वास्तविक बजटीय अनुमान तैयार करने, स्वीकृत निधियों के इष्टतम उपयोग, परिणामी परिणाम बजट, अधिशेष भूमि के मुद्रीकरण के लिए विशेष प्रयोजन वाहन, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश, पूंजीगत व्यय (केपेक्स), राज्यों को निधि, ब्याज भुगतान और सरकारी उधार, बैंकिंग क्षेत्र का सुद्दीकरण, एक्जिम बैंक, राष्ट्रीय वितीय अवंसरचना और विकास बैंक (एनएबीएफआईडी), डिजिटल अर्थव्यवस्था और बढ़ती ऑनलाइन धोखाधड़ी और उसमें शिकायत निवारण तंत्र की सुविधा प्रदान करने संबंधी तेरह (13) सिफारिशें की गई थीं।

इस रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण वित्त से संबद्ध स्थायी समिति को भेज दिए गए हैं। समिति द्वारा 40वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति अनुबंध में दी गई है।

मैं अनुबंध की विषय-वस्तु पढ़कर सुनाने में सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगी और मैं यह अनुरोध करूंगी कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए। STATEMENT BY SMT NIRMALA SITHARAMAN, MINISTER OF FINANCE,
IN THE LOK SABHA ON 08.08.2022
REGARDING THE STATUS OF IMPLEMENTATION OF
RECOMMENDATIONS CONTAINED IN THE
40th REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE
(17<sup>TH</sup> LOK SABHA)

ON DEMANDS FOR GRANTS (2022-23)

IN PURSUANCE OF THE DIRECTION OF THE HON'BLE SPEAKER,

LOK SABHA VIDE LOK SABHA BULLETIN, PART II

DATED 1<sup>ST</sup> SEPTEMBER, 2004, UNDER RULE 73-A OF THE RULES OF PROCEDURE

AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE LOK SABHA

I deem it my privilege to make a statement on the status of implementation of recommendations contained in the 40th Report of the Standing Committee on Finance (17<sup>th</sup> Lok Sabha) relating to departments of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services, Public Enterprises, and Investment and Public Asset Management in pursuance of the direction of the Hon'ble Speaker, Lok Sabha.

The 40th Report of the Standing Committee on Finance (17th Lok Sabha) relating to examination of Demands for Grants (2022-23) of Ministry of Finance was presented on 22nd March, 2022 in Lok Sabha. In their Report, the Committee deliberated on various issues. Thirteen (13) recommendations were made by the Committee pertaining to preparation of realistic budgetary estimates, optimal utilization of funds sanctioned, Output Outcome Budget, Special Purpose Vehicle for monetization of surplus land, Disinvestment of PSEs, Capital Expenditure(CAPEX), Funds to States, Interest payments and Government Borrowings, Health of the Banking Sector, EXIM Bank, The National Bank for Financing Infrastructure and Development(NaBFID), Digital Economy and Rising online Frauds and facilitating grievance redressal mechanism therein.

Action Taken Report on the recommendations/observations contained in the Report has been sent to the Standing Committee on Finance. Present status of implementation of the recommendations made by the Committee in its 40th Report is indicated in the Annexure.

I would further not like to take the valuable time of the House to read out the contents of the Annexure and request that this may please be taken as read.

अनुबंध

वित्त मंत्रालय के संबंध में 22 मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत/राज्य सभा पटल पर रखी गयी वित्त संबंधी स्थायी समिति की चालीसवीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गयी कार्यवाई को दर्शाने वाला विवरण।

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	<b>5</b>	6
1	1	समिति बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों को वास्तविक रूप से तैयार करने और आबंटित निधियों के पूर्ण उपयोग की	यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 15.02.2022 से 31.03.2022 तक आर्थिक कार्य विभाग के अनुदान के तहत कुल व्यय 7602.84 करोड़ रुपये था। मार्च, 2022 के महीने में 7602.84 करोड़ रुपये में से 7096.69 करोड़ रुपये मुख्य रूप से निम्नितिखित कारणों से बुक किए गए थै:-  1. राजस्व अनुभाग के तहत बजट अनुमान 2021-22 में 1069.86 करोड़ रुपये का वास्तविक प्रावधान केवल तीसरी और अंतिम अनुपूरक अनुदान मांगों (2021-22) के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता था, जिसे दिनांक 23.03.2022 को अनुमोदित किया गया था, तदनुसार, मार्च, 2022 के महीना में निधियों का उपयोग किया जा सकता है।  11. वितीय वर्ष 2021-22 के दौरान मार्च, 2022 के महीने में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) में	न हों	

क्र.सं.	सिफारिश	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा	टिप्पणी
	संख्या			स्वीकृत	(यदि कोई
				या अस्वीकृत	हो)
1	2	3	4	5	6
		दिया गया था। अर्थात 44380.70 करोड़	लिए 1236.93 करोड़ रुपये का अंतर खाता अंतरण किया		
		रुपये की भारी कमी आर्थिक कार्य विभाग	गया था।		
		द्वारा उद्धृत किया गया है कि इस कमी			
		का मुख्य कारण अवसंरचना पाइपलाइन के	संदर्भ में आरबीआई से प्राप्त सूचना के आधार पर स्वर्ण		
		लिए समर्थन है, जो वर्ष के दौरान पूंजीगत	मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015 (बजट शीर्ष:		
		व्यय पर अच्छी प्रगति दिखाने वाले	4046.00.206.06.00.54) के लिए मार्च, 2022 के महीने में		
		विभिन्न विभागों की परियोजनाओं/कार्यक्रमों	1409.06 करोड़ रुपये का अंतर खाता अंतरण किया गया		
		के लिए निधि की आवश्यकता को प्रा	था।		
		करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग की	IV. मार्च, 2022 के महीने में अंतर्राष्ट्रीय वितीय संस्थानों को		
		मांगों में किया गया एक केंद्रीकृत प्रावधान	उनके दवारा उठाई गई मांग के आधार पर 769.38 करोड़		
		था। समिति को सूचित किया जाता है कि	रुपये का भुगतान किया गया।		
	_	तद्नुसार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा	2. उपरोक्त के मददेनजर, आर्थिक कार्य विभाग के अनुदान को		
		उनके पूंजीगत व्यय के उपयोग के लिए	मार्च, 2022 के महीने में बुक किए गए व्यय के लिए " <i>मार्च में व्यय</i>		
		प्रावधान को पुनः आबंटित किया गया था।	की जल्दबाज़ी के उदाहरणों के रूप में नहीं माना जा सकता है,		
		विभाग द्वारा आगे यह भी सूचित किया	हालांकि, भविष्य के अनुपालन के लिए माननीय समिति की	1	
		जाता है कि वर्ष 2021-22 के लिए दिनांक	सिफारिश को नोट किया गया है।		
		14.02.2022 तक वास्तविक व्यय			
		40149.32 करोड़ रु. है। समिति इंगित			
		करना चाहती है कि संशोधित अनुमान			
		2021-22 की तुलना में विभाग के पास			
		अभी भी (दिनांक 14.02.2022 तक)			
		लगभग 15019.51 करोड़ रु. है जो इस			
		वितीय वर्ष के लिए लगभग डेढ़ महीने से			

क्र.सं.	सिफारिश	सिफारिश			सरकार द्वार	की गई का	र्रवाई		सरकार द्वारा स्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई
	संख्या								या अस्वीकृत	हो)
	2	3		<u> </u>		4			5	6
1		अप्रयुक्त रहता है। "मार्च में व्यय की				_	<u> </u>			
		जल्दबाज़ी" पर जोर देना बेकार है,								
		लाक्षणिक रूप से ऐसे पुराने उदाहरणों से								
	li:	बचा जाना चाहिए और पिछली तिमाही में								
		भारी व्यय के बजाय व्यय में समानता को								
		बनाए रखा जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था को								
		विकास और राजकोषीय स्थिरता के पथ पर						1		
		रखते हुए आबंटित निधियों के बेहतर								
		लक्ष्यीकरण और अवशोषण के लिए यह								
		आवश्यक है।					_ <del></del>			
2	2	सामान्य वितीय और कारोबार संस्था में	ı	सामान्य '	वितीय और	कारोबार स	iस्थाओं में	मुख्य शीष		
		मुख्य शीर्ष 5465-निवेश के संदर्भ में	5465-f	नेवेश के	संबंध में नि	म्नांकित तार्रि	लेका और	वर्ष-वार उत्तर	हां	
		समिति पाती है कि वर्ष 2019-20 के लिए	देखा ज	ा सकता है	<b>5:-</b>					
		बजट अनुमान 2247.01 करोड़ रु. था और						₹ करोड़ में)		
		वास्तविक अनुमान 4041.34 करोड़ रु. था	क्र.स.	वित्त वर्ष	ब.अ.	स.अ.	वास्तविक	बचतें (ब.अ.+		
		जबिक वित्त वर्ष 2020-21 में बजट					व्यय	अनुपूरक-		
		अनुमान 13500.03 करोड़ रु. था और						वास्तविक	1	
		वास्तविक अनुमान 7482.72 करोड़ रु. था।						व्यय)	1	
		दिनांक 31.12.2021 तक 10750.01	1	2019-20	2247.01	7000.02		1958.68	1	
		करोड़ रु. के बजटीय आबंटन की तुलना में	2.	2020-21	13500.03	8666.17	7482.72	6017.31	-	
		वास्तविक व्यय केवल 1219.43 करोड़ रु.		2021-22	10750.01	9500.01	4165.07	6584.94	_	
		है। समिति आशा करती है कि वित्त मंत्रालय							,	

· ·

क्र.सं.	सिफारिश	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा	टिप्पणी
	संख्या			स्वीकृत	(यदि कोई
				या अस्वीकृत	हो)
1_	2	3	4	5	6
		संपूर्ण बजटीय कार्य प्रणाली में इस प्रकार	2019-20		
		की अनियमित आबंटनों से बचें। समिति	मुख्य शीर्षः 5465 के तहत ब.अ. 2019-20 में वास्तविक		
		आगे यह भी उल्लिखित करना चाहेगी कि	अनुदान 2247.01 करोड़ रु. था। जिसमें कि निधियों के		
		स्कीमें/गतिविधियां पर्याप्त रूप से उपलब्ध	,		
		कराई जानी चाहिए और उनका प्रणालीगत	करोइ रु. के अनुपूरक अनुदान को प्राप्त कर 7000.02 करोड़ रु.		
		रूप से निष्पादन किया जाना चाहिए एवं	बढ़ाए गए थे। वास्तविक व्यय 4041.34 करोड़ रु. था जिससे		
		सुदृढ़ तौर पर क्रियान्वित की जानी चाहिए	1958.68 करोड़ रु. की बचतें हुईं। ये बचतें मुख्य रूप से निम्न		
		ताकि की गई परिकल्पना अनुसार वांछित	कारणों के चलते हुई।		
		उद्देश्यों को पूर्णतः प्राप्त किया जा सके।	।. भारतीय कार्य नीति और सामाजिक अवसंरचना वित		
		समिति इतने वर्षों में राष्ट्रीय निवेश निधि	निगम (आईएसएसआईएफसी) (बजट शीर्षः		
		(एनआईएफ) से सीमित प्राप्तियों के बारे में	5465.01.190.45):- ब.अ. 2019-20 1000.00 करोड़ रु.		
		भी चिंतित है और साथ ही अर्थव्यवस्था में	था स्कीम के प्रचालित न होने के कारण संपूर्ण प्रावधान		
		जिस प्रकार से चारों ओर प्रभाव लाने की	का उपयोग नहीं किया जा सका।		I
1		परिकल्पना की गई थी उस दृष्टि से उसके	॥. राष्ट्रीय निवेश निधि (बजट शीर्षः 5465.01.797.02):-		
		निम्न प्रभाव पर भी चिंतित है। अर्थात्	भारतीय कार्यनीति और सामाजिक अवसंरचना वित निगम		
		सरकारी पूंजी/इक्विटी निवेश का एक	को सहायता हेतु 1000.00 करोड़ रु. का प्रावधान तथापि		
		महत्वपूर्ण कॉर्पस इसके बदले ऋण निवेश	आईएसएसआईएफसी के तहत शून्य व्यय के चलते निधि		
		की दृष्टि से बड़े कॉर्पस को सहायता पहुंचा	का अंतरण नहीं किया जा सका।		
		रहा है। समिति चाहती है कि यह	III. किफायती और मध्यम आय वर्ग के आवास हेत् विशेष		
		बहुउद्देशीय प्रभाव दक्षता से उपयोग में	खिड़की (एसडब्ल्यूएएमआईएच) (बजट शीर्षः		
		लाई जाए और सरकार अधिदेश अनुसार	5465.01.190.50):-		
		कॉर्पस निधि का अर्थपूर्ण उपयोग करे।	- 133.3 33.337.		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई
		<del></del>		या अस्वीकृत	हो)
	2		सं.अ. 2019-20 स्तर पर एसडबल्यूएएमआईएच के लिए 1000.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया था। वास्तविक व्यय 41.35 करोड़ रु. था जिसके परिणामस्वरूप 958.65 करोड़ रु. की बचतें हुई। निम्न व्यय का कारण यह था कि निधि हेतु अनुमोदन नवंबर 2019 में प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त निधि के उपयोग हेतु व्यवस्था करने में भी कुछ समय लगा और साथ ही आवश्यक औपचारिकताओं में भी समय लगा जिनमें कि निधि के तहत रिलीज करने के दिशानिर्देश तैयार करने, निवेश प्रबंधक की नियुक्ति निवेश संबंधी निर्णयों को लेने के लिए निवेश समिति की स्थापना करना, स्कीम के तहत निधियों की रिलीज के लिए आवेदनों को प्रक्रिया में लाना आदि शामिल हैं। एसडब्ल्यूएएमआईएच निधि के तहत रिलीज में बाद के वित वर्षों में तेजी आई।  2020-21  मुख्य शीर्षः 5465 के तहत ब.अ. 2020-21 में वास्तविक अनुदान 13500.03 करोड़ रु. था। सं.अ. 2020-21 में घटकर 8666.17 करोड़ रु. हो गया था। वितीय वर्ष 2020-21 के लिए मुख्य शीर्षः 5465 के तहत 0.01 करोड़ के दो टोकन अनुप्रक प्राप्त किए। बजट प्रावधान का उप-शीर्षवार विवरण निम्नानुसार देखा जा सकंता है: -	5	6

क्र.सं.	सिफारिश सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संख्या	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई					सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)	
1	2	3	· —		4			5	6
						(₹क	रोड़ में)		
			क्र.सं.	बजट शीर्ष	विवरण ब.अ.	ब.अ. + पूरक	सं.अ.		
			1.	5465.01.190.40	राष्ट्रीय निवेश और 0.01 अवसंरचना कोष लिमिटेड (एनआईआईएफएल)	0.01	0.01		
			2.	5465.01.190.45	भारतीय सामरिक और 0.01 सामाजिक अवसंरचना वित्त निगम (आईएसएसआईएफसी)	0.01	0.01		
			3.	5465.01.190.46	राष्ट्रीय निवेश और 500.00 अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) में निवेश	500.005	4750.00		
			4.	5465.01.190.48	भारतीय प्रतिभूति मुद्रण 0.01 और निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईल)	0.01	0.01		
			5.	5465.01.190.50	किफ़ायती और मध्यम 0.00 आय आवास के लिए विशेष विंडो	0.01	916.14		
			6.	5465.01.190.51	एनआईआईएफ 0.00 अवसंरचना ऋण वित्तपोषण मंच में पूंजी निवेश	0.005	1000.00		
			7.	5465.01.797.02	राष्ट्रीय निवेश कोष 13000.00 (एनआईएफ)		2000.00	ĺ	
					कुल (मुख्य शीर्षः 5465) 13500.0	13500.05	8666.17		

क्र.सं.	सिफारिश	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा	टिप्पणी
	संख्या		·	स्वीकृत	(यदि कोई
				या अस्वीकृत	हो)
1	2	3	4	5	6
			2. मुख्य शीर्षः 5465 के तहत वास्तविक व्यय ₹7482.72		
			करोड़ था जिसके परिणामस्वरूप ₹6017.33 करोड़ की बचत हुई।		
			यह भी सूचित किया गया है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (बजट		
			शीर्ष: 5475.00.800.27) के सहयोग के लिए एनआईएफ (इंटर-		
			अकाउंट ट्रांसफर) (बजट शीर्ष: 5465.01.797.02) के तहत ब.अ.		
			2020-21 के रूप में ₹12500.00 करोड़ का प्रावधान किया गया		
			था, जिसे स.अ. 2020-21 चरण में घटाकर शून्य कर दिया गया		
			था। इसलिए, बचत मुख्य रूप से अवसंरचना पाइपलाइन के सहयोग		
			के तहत निधियों के गैर उपयोग के परिणामी प्रभावों के कारण		
			₹12500.00 करोड़ के गैर हस्तांतरण के कारण थी।		
			2021-22		
			मुख्य शीर्ष: 5465 के तहत, ब.अ. 2021-22 में मूल		
			अनुदान ₹10750.01 करोड़ था। इसे सं.अ. 2020-21 में घटाकर		
			₹9500.01 करोड़ कर दिया गया। वास्तविक व्यय ₹4165.07		
			करोइ था जिसके परिणामस्वरूप ₹6584.94 करोड़ की बचत हुई।		
			बचत मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से हुई:-		
			।. राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश (बजट शीर्ष:		
			5465.01.190.46): - बजट अनुमान 2021-22		
			र ₹5000.00 करोइ था, हालांकि वास्तविक व्यय ₹1236.93		
			करोड़ है जिसके परिणामस्वरूप ₹3763.07 करोड़ की बचत		
			हुई। इस संबंध में, यह कहा गया है कि एक वर्ष के दौरान		

क्र.सं.	सिफारिश	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा	टिप्पणी
	संख्या			स्वीकृत	(यदि कोई
			<del></del>		
1	2	3	पनआईआईएफ के तहत व्यय की मात्रा उस वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाले निवेश के अवसरों पर निर्भर करती है। इसलिए, प्रत्याशित निवेश अवसरों के आधार पर, ब.अ./स.अ. में धन की मांग के लिए निवेश प्रबंधक के परामर्श से धन की आवश्यकता का वास्तविक अनुमान लगाया जाता है। जब भी कोई प्रत्याशित निवेश अवसर नहीं मिलता है, तो वितीय वर्ष के दौरान खर्च कम होता है। ॥. किफायती और मध्यम आय वाले आवास के लिए विशेष विंडो (बजट शीर्ष: 5465.01.190.50):- 2021-22 में बजट अनुमान 12250.00 करोड़ था, हालांकि वास्तविक व्यय 12991.21 करोड़ है जिसके परिणामस्वरूप 1258.79 करोड़ की बचत हुई। कोविड की दूसरी लहर के कारण निर्माण गतिविधि में कमी के कारण पोर्टफोलियो कंपनियों दवारा	या अस्वीकृत 5	हो) 6
			धन की कम आवश्यकता के कारण बचत हुई थी।  एनआईआईएफ अवसंरचना ऋण वितपोषण प्लेटफार्म में पूंजी निवेश (बजट शीर्ष: 5465.01.190.51):- राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि में निवेश: - 2021-22 में ब.अ. ₹1000.00 करोड़ था, हालांकि वास्तविक व्यय ₹700.00 करोड़ है जिसके परिणामस्वरूप ₹300.00 करोड़ की बचत हुई। इस संबंध में, यह कहा गया है कि एक वर्ष के दौरान एनआईआईएफ आईडीएफ के तहत व्यय की मात्रा उस वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाले निवेश के अवसरों पर निर्भर करती है। इसलिए, अन्मानित निवेश के अवसरों के आधार		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई
				या अस्वीकृत	हो)
1	2	3	4	5	6
			पर ब.अ./सं.अ. में धन की मांग के लिए निवेश प्रबंधक के		
			परामर्श से धन की आवश्यकता का वास्तविक अनुमान		
			लगाया जाता है। जब भी कोई प्रत्याशित निवेश अवसर		
			नहीं मिलता है, तो वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च कम होता है।		
			IV. राष्ट्रीय निवेश कोष (बजट शीर्ष: 5465.01.797.02):- 2021-		
			22 में बजट अनुमान ₹ 2500.00 करोड़ था, हालांकि		
			वास्तविक व्यय ₹1236.93 करोड़ है जिसके परिणामस्वरूप		
			₹1263.07 करोइ की हुई। बचत एनआईआईएफ में अनुमान		
			से कम निवेश के परिणामी प्रभावों के कारण बचत हुई।		
			2. उपरोक्त से पता चलता है कि संबंधित प्रभागों से वास्तविक		
			मांगों पर मुख्य शीर्ष: 5465 के तहत प्रावधान किए गए थे। इसके		
			अलावा, शीघ्र योजना कार्यान्वयन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता		
			है जैसे विस्तृत योजना कार्यान्वयन दिशानिर्देश तैयार करना,		
			कार्यान्वयन एजेंसियों का चयन, निधि जारी करने से पहले विभिन्न		
			वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, आदि। कुछ मामलों में,		
			योजनाओं की धीमी गति के कारण प्रत्याशित परिणामों की तुलना		
			में सुस्त प्रक्रियाएं। हालांकि, भविष्य में अनुपालन के लिए माननीय		
			समिति की सिफारिश को नोट कर लिया गया है।		
3	2	समिति वर्षों से राष्ट्रीय निवेश कोष	'विनिवेश प्राप्तियों' से प्राप्त आय को एक आरक्षित निधि, जिसे	जी, हां	
		(एनआईएफ) से सीमित निकासी और इसके	'राष्ट्रीय निवेश निधि' कहा जाता है, के माध्यम से सार्वजनिक खाते		
		गुणक परिणाम के संदर्भ में इसे	में भेजा जाता है। राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा की गई राशि का		
		•	उपयोग संसद दवारा अधिकृत उचित विनियोग के साथ सरकार		

क्र.सं.	सिफारिश	सिफारिश		सरकार द्वारा की	गई कार्रवाई	सरकार द्वारा	टिप्पणी
	संख्या						(यदि कोई
							हो)
1	2	3		4	5	6	
		थी, के अल्प प्रभाव के बारे में भी चिंतित है अर्थात सरकारी प्ंजी/इक्विटी निवेश की एक आधारभूत निधि है जो ऋण निवेश के मामले में एक बड़ी आधारभूत निधि के रूप में समर्थन कर रही थी। समिति चाहती है कि इस गुणक परिणाम को कुशलता से लिया जाए और सरकार अनिवार्य रूप से	2. पिछले चार (4 के माध्यम से प्र	) वर्षों के लिए 'रा'  प्त और बजट अ रा नीचे दर्शाया गय	(करोड़ रुपये में)		
		आधारभूत निधि का लाभकारी उपयोग करे।	वर्ष	विनिवेश से प्राप्त राशि	एनआईएफ को अंतरित और उससे उपयोग की गई राशि		
			2018-19	72619.54			
			2019-20	48234.46			
			2020-21	29720.46	31907.61		
			2021-22 (ब.अ.)	78000.00	118863.84		<u> </u>
			2022-23 (ब.अ.)	65000.00	64865.00		
			कुल	293574.46	352832.64		
			वर्षों के दौरान स होल्डिंग के विनिदं 4. वर्तमान में, इ	नंचयी उपयोग सीप वेश से प्राप्त विनिवं इस आय का उपये	ा जा सकता है, पिछले पांच (5) गीएसयू में सरकार की इक्विटी वेश से बहुत अधिक है। गोग न केवल रेलवे के निर्माण, लने जैसे पूंजी निर्माण के लिए		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई
				या अस्वीकृत	हो)
1	2	3	4	5	6
			किया जाता है, बल्कि स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में		
			सामाजिक अवसंरचना के विकास के लिए भी उपयोग किया जाता		
			है।		
4	3	समिति अनुशंसा करती है कि परिणाम को	सभी केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में	OOMF को एक	
		और अधिक व्यापक बनाया जाए और	आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (OOMF), नीति आयोग	विशेष समय	
		पिछले दो या अधिक वितीय वर्षों की	दवारा संबंधित मंत्रालयों / विभागों और व्यय विभाग के परामर्श से	सीमा में दिए	
		उपलब्धि के आंकड़ों के साथ-साथ हासिल	तैयार किया गया है। OOMF को तैयार करना और इसमें सुधार	गए वितीय	
		किए गए उद्देश्यों की स्पष्ट तस्वीर को	एक सतत कार्य है और इसमें नीति आयोग, व्यय विभाग और	परिव्यय के	
		बेहतर ढंग से समझने के लिए चालू वितीय	प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के बीच परामर्श की निरंतर प्रक्रिया	भीतर वार्षिक/	
		वर्ष के परिणामों को शामिल किया जाए।	शामिल है। इसके अलावा, OOMF समीक्षा बैठकें भी संबंधित	आवधिक	
		समिति का यह मानना है कि इससे यह	मंत्रालयों/विभागों के साथ आउटपुट और परिणाम संकेतकों एवं	आउटपुट के	
		समझने में मदद मिलेगी कि पिछले वर्ष	योजनाओं की प्रगति पर चर्चा करने के लिए समय-समय पर नीति	माध्यम से	
		खर्च किए गए पैसे से वास्तव में इच्छित	आयोग में आयोजित की जाती हैं।	परिणाम की	
		उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है या नहीं।		उपलब्धि के	
				लिए विशेष	
				तरीके से तैयार	
				किया गया है।	
				योजनाओं के	
				लिए वितीय	
				परिव्यय को	
				वित्त आयोग	
				चक्र के साथ	

क्र.सं.	सिफारिश	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा	टिप्पणी
	संख्या			स्वीकृत	(यदि कोई
				या अस्वीकृत	हो)
1	2	3	4	5	6
				संरेखित किया	
				गया है।	
			बजटीय		
			संसाधनों को		
				समग्र वितीय	
				परिव्यय के	
				भीतर उपलब्ध	
				कराया जाता है	ı
				ताकि यह	
				सुनिश्चित	
				किया जा सके	
				कि चक्र के	
				अंत में, वांछित	
				परिणाम प्राप्त	
				किए जा सकें।	
				चक्र के अंत में	
				अनिवार्य तीसरे	
				पक्ष के	
			-	मूल्यांकन	
				दवारा आगे	
		`		इसकी पुष्टि	
				की जाती है।	
				उपर्युक्त को	

क्र.सं.	सिफारिश	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा	टिप्पणी
	संख्या			स्वीकृत	(यदि कोई
				या अस्वीकृत	हो)
1	2	3	4	5	6
				ध्यान में रखते	
				हुए, सरकार ने	
				सिफारिश को	
				स्वीकार नहीं	
				किया है।	
5	4		डीपीई ने दिनांक 13 दिसंबर, 2021 के कार्यालय जापन संख्या		समिति के
			डीपीई 3(1)/2021-डीडी के तहत गैर-रणनीतिक क्षेत्र में सीपीएसई	स्वीकृत	सुझावों में
			के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उदयमों (पीएसई) की नई नीति के		से एक यह
			कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिसमें यह		है कि भूमि
		बढ़कर 177 करोड़ रुपये हो गया। यह	व्यवस्था की गई है कि सीपीएसईज़ की लीजहोल्ड भूमि को राज्य		को केवल
		स्चित किया गया कि आबंटन में तीव	सरकार को वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने		भूमि मूल्य
		वृद्धि सरकारी मंत्रालयों/विभागों और	दिनांक 09.03.2022 को आयोजित अपनी बैठक में राष्ट्रीय भूमि		के लिए तय
	ı	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ	मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) को एक विशेष प्रयोजन वाहन		करने के
		अधिशेष भूमि के मुद्रीकरण के लिए विशेष	(एसपीवी) के रूप में स्थापित करने की मंजूरी दी है। इस एसपीवी		बजाय इसे
			को सीपीएसई के साथ-साथ अन्य सरकारी एजेंसियों की गैर-प्रमुख		विकसित
			संपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए भारत सरकार के 100 प्रतिशत		करने के
			स्वामित्व वाली कंपनी होने का प्रस्ताव है। एसपीवी में सरकार के		बाद ऊंची
		1 7 9	बाहर के पेशेवरों का उचित प्रतिनिधित्व होगा। एसपीवी को		कीमत पर
		3.9	संदर्भित भूमि/संपत्ति की प्रकृति के आधार पर, अधिकतम मूल्य की		बेचा जाए।
		जाने के बाद, इससे संबंधित कार्य डीपीई			यह प्रत्येक
		द्वारा संभाला जाएगा। समिति का मानना	1 7		भूमि पार्सल
		है कि लैंडहोल्डिंग को एक साथ रखने के			के संबंध में

क्र.सं.	सिफारिश	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सरक	नार द्वारा	टिप्पणी
	संख्या		₹	स्वीकृत	(यदि कोई
			या ३	अस्वीकृत	हो)
1	2	3	4	5	6
		लिए एसपीवी एक प्रमुख मुद्रीकरण का			संभव नहीं
		अवसर हो सकता है और योजना का			हो सकता
		निष्पादन इसकी सफलता के लिए			है, क्योंकि
		महत्वपूर्ण है। समिति का सुझाव है कि			यह
		भूमि के मूल्य को व्यवस्थापित करने के			परिकल्पना
		बजाय भूमि को विकसित करने के बाद			की गई है
i		अधिक लागत पर बेच दिया जाए। वर्तमान			कि इस
		राजकोषीय स्थिति और सरकार के पास			तरह का
		उपलब्ध बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण लैंड			काम
		होल्डिंग को देखते हुए संवर्द्धित मूल्य			खरीदार/
		अर्थव्यवस्था की आश्चर्यजनक रूप से			रियायतीग्रा
		सहायता करने की क्षमता रखता है। समिति			ही दवारा
		महत्वपूर्ण लैंड होल्डिंग में से अधिकतम			बेहतर
		मूल्य सुनिश्चित करने के लिए	i		तरीके से
		वाणिज्यिक/निजी विशेषज्ञता लाने की			किया जाता
		सिफारिश करती है। इसी क्रम में, समिति			है।
		कतिपय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और			
		सार्वजनिक उद्यमों की भूमि के			
		विकास/पुनर्विकास की आवश्यकता की ओर			
		ध्यान दिलाना चाहेगी, जिन्हें लंबे समय से	j		
		बंद/विनिवेशित किया गया है और उनकी			
		खाली भूमि पर अब अतिक्रमण किया जा			
		रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकारों के			

क्र.सं.	सिफारिश	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा	टिप्पणी
	संख्या			स्वीकृत	(यदि कोई
				या अस्वीकृत	हो)
1	2	3	4	5	6
		साथ कतिपय लैंड होल्डिंग के गतिरोध			
		पर, समिति चाहती है कि सौहार्दपूर्ण			
		समाधान तक पहुंचा जाए ताकि सरकार के			
		लिए मूल्यवान भूमि स्वामित्व के बिना या			
		बिना मूल्य के व्यर्थ न चली जाए।			
6	5	समिति का मानना है कि विनिवेश लक्ष्यों	समिति को सूचित किया गया है कि सीमित विनिवेश विंडो (51%	स्वीकृत	
•		को पूरा करना बजट के लिए महत्वपूर्ण है	इक्विटी स्तर से ऊपर) , मूल्य अधिकता की समस्या और चल रहे		
		और अनुमानों से विचलन से राजकोषीय	सौदों को बंद करने की संभावना को देखते हुए, वित वर्ष 2022-23		
		गतिशीलता में भारी परिवर्तन हो सकता है	·		
			निर्धारित किया गया है। विभाग दवारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए हर		
İ		विश्वसनीय, उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी हो।	संभव प्रयास किया जाएगा। यदयपि, वैश्विक कारकों, निवेशकों		
		दीपम एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करे कि	की अभिरुचि और सीपीएसई के शेयरों के प्रदर्शन सहित बाजार की		
		इसने सार्वजनिक परिसंपत्तियों का प्रबंधन	गत्यात्मकता वह सक्रिय कारक हैं जो विनिवेश सौदों को प्रभावित		
		कैसे किया है- विशेष रूप से, क्या दीपम	करते हैं। तथापि, सरकार विनिवेश और लाभांश लक्ष्यों को		
		मूल्य सृजन कर रहा है या क्या इसने आम	l		
		जनता के लिए वार्षिक आधार पर मूल्य	_		
		हास किया है।	बाजारों की अनिश्चितताओं और अप्रत्याशितता के अधीन बेहतर		
			ढंग से संरेखित हो।		
			सार्वजनिक परिसंपतियों में मूल्य सृजित करने में कैसे कामयाब		
			रही है, विषय पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए		
			समिति की सिफारिश के संबंध में, सीपीएसई की निगरानी मुख्य		
			रूप से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों दवारा की जाती है और डीपीई		

क्र.सं.	सिफारिश	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा	टिप्पणी
	संख्या			स्वीकृत	(यदि कोई
				या अस्वीकृत	हो)
1	2	3	4	5	6
			एक वार्षिक सार्वजनिक उदयम सर्वेक्षण प्रकाशित करता है जिसमें		
			सीपीएसई के कामकाज पर वृहदाकार जानकारी होती है। डीपीई		
			और प्रशासनिक मंत्रालयों के पास सीपीएसई के साथ वार्षिक		
			समझौता ज्ञापनों की एक विस्तृत प्रक्रिया भी है। दीपम, प्रशासनिक		
			मंत्रालयों के साथ, भारत सरकार की इक्विटी के विनिवेश और		
			सीपीएसई से हुई लाभांश प्राप्तियों की देखरेख और निगरानी करता	•	
			है।		
			सरकार इस बात से सहमत है कि पेशेवर/शैक्षणिक संस्थानों की		
			मदद से आवधिक अध्ययन सीपीएसई क्षेत्र में मूल्य सृजन की स्थिति पर		
			वार्षिक सार्वजनिक उदयम सर्वेक्षण के पूरक बन सकते हैं। यह अध्ययन		
	`		उचित अंतराल पर भी किए जा सकते हैं कि कैसे रणनीतिक		
			विनिवेश/निजीकरण ने निजीकरण के बाद उदयमों की आर्थिक क्षमता को		
			हासिल करने में योगदान दिया है।		
7	6	समिति ने 2022-23 में विभिन्न अवसंरचना	भारत सरकार पूंजीगत व्यय के में तेजी लाने की दिशा में काम	जी, हां	
		परियोजनाओं को निधि देने के लिए	1		
		पूंजीगत व्यय में 35.4 प्रतिशत की तेज	1		
		उछाल को नोट किया, अर्थात सरकार को	_		
		अगले वितीय वर्ष में पूंजीगत व्यय के रूप	l		
		***	बाधाओं, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के		
			साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करता है। यह नियमित		
			आधार पर राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत		
			पूंजीगत व्यय की प्रगति और परियोजनाओं के कार्यान्वयन की		

क्र.सं.	सिफारिश	सिफारिश	सरकार द्वारा र्क	ो गई कार्रवाई	सरकार द्वारा	टिप्पणी
	संख्या				स्वीकृत	(यदि कोई
					या अस्वीकृत	हो)
1	2	3	4		5	6
		तरीके से, कुशलतापूर्वक और पर्याप्त रूप से	निगरानी करेगा और अवसंरचन	॥ परियोजनाओं के तेजी से		
<b>l</b> .		उपयोग किया जाएगा और 7.50 लाख करोड़	कार्यान्वयन दवारा पूंजीगत व्य	य को आगे बढ़ाने के लिए		
		रुपये के निर्धारित लक्ष्य को पूरी तरह से	आधारभूत मंत्रालयों को प्रोत्साहि	त करेगा। इन सभी तंत्रों के		
		प्राप्त किया जाएगा।	माध्यम से, वित मंत्रालय इन्फ्रा ख	र्च को आगे बढ़ाने और वित वर्ष		
			2021-22 के समान ब.अ. के 100	प्रतिशत से अधिक के पूंजीगत		
			व्यय को प्राप्त करने में सक्षम होग			
			पूंजीगत निवेश अधिक रोजगार	<del>-</del>		
			उदयोगों से निर्मित इनपुट की	•		
			निरंतर आर्थिक पुनरुदधार का उप	ाय करता है। सार्वजनिक निवेश		
			में वृदिधि विकास के पुण्य चक्र की	। ओर ले जाती है। इसके गुणक		
			प्रभाव के कारण महामारी के बाद	अर्थव्यवस्था को फिर से जीवंत		
			करने के लिए बढ़ा ह्आ पूंजीगत	व्यय महत्वपूर्ण है। तदनुसार,		
			बजट अनुमान 2022-23 में पूंजीव	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			बढ़ाकर रु. 7.50 लाख करोड़ रुपये			
			व्यय के लिए प्रमुख क्षेत्र निम्नानुस	•••		
				•		
			क्र.सं. मंत्रालय/विभाग/क्षेत्र	बजट अनुमान 2022-23 में प्ंजीगत		
				परिव्यय		
				धनराशि प्रतिशत		
			1	(करोड़ रुपये में) (%) 1,87,744 25%		
			1 सङ्क परिवहन और राजमार्ग   2 रेलवे	1,37,100 18%		
			3 रक्षा पूंजी	1,52,370 20%		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश		सरकार द्वारा की	गई कार्रवाई		सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3		4			5	6
_			4	दूरसंचार	54,150	7%		
			5	पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता	1,00,000	13%		
			6	आवासन और शहरी कार्य (मेट्रो)	27,341	4%		
			7	परमाणु ऊर्जा	14,283	2%		
			8	अन्य	77,258	10%		
				कुल	7,50,246	100%		
			2022- 市 (1) 市 (2) 京 (3) 京 (4) 京 (4) 京 (4) 京 (4) 京 (4) 京 (4) 京 (4) 河 (4)	ग के लिए किए गए प्रावधान 23 में केंद्र सरकार का 'प्रभा रुपये होने का अनुमान है जो यह उम्मीद है कि राष्ट्रीय स् लावा, विकास और रोजगार होगा। रत सरकार पूंजीगत व्यय में ह अवसंरचना मंत्रालयों/विभागे रचना के निवेश में तेजी लाने दिए गए हैं ।। लयों को अपने पूंजीगत व्यः  से अधिक प्राप्त करने के नि	ावी पूंजीगत व्ययं जीडीपी का लगभग रंपति के निर्माण व पर अर्थव्यवस्था में तेजी लाने की दिश ते पूंजीगत व्यय ां की समीक्षा बैठ के उपायों का सुइ य को बढ़ाने हेतु	10.68 लाख  7 4.1 प्रतिशत  में मदद करने  में एक गुणक  1 में काम कर  योजनाओं पर  उके कीं और  माव दिया, जो		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई
				या अस्वीकृत	हो)
1	2	3	4	5	6
1	2	3	दवारा लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।  ii. मंत्रालय अभिनव संरचना और वित्तपोषण के माध्यम से परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए सिक्रिय रूप से काम करें और व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड का पता लगाने सिहत अवसंरचना के खर्च को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करें।  iii. मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर खर्च बढ़ाएंगे कि उपलिब्ध समय सीमा के अनुरूप हो और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के साथ क्षेत्र-विशिष्ट परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करें।  3. संबंधित मंत्रालयों और मंत्रिमंडल सचिवालय दवारा नियमित समीक्षा बैठकें की गई हैं। साथ ही वित मंत्रालय परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने और बाधाओं, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करता है। यह नियमित आधार पर राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत पूंजीगत व्यय की प्रगति और परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और अवसंरचना परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन दवारा पूंजीगत व्यय की आगे	5	6

क्र.सं.	सिफारिश	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा	टिप्पणी
	संख्या			स्वीकृत	(यदि कोई
				या अस्वीकृत 	हो)
1	2	3	4	5	6
			4. इन सभी तंत्रों के माध्यम से, वित्त मंत्रालय बुनियादी खर्च को		
		·	आगे बढ़ाने और वित्त वर्ष 2021-22 के समान बजट अनुमान के		
			100 प्रतिशत से अधिक के पूंजीगत व्यय को प्राप्त करने में सक्षम		
			होगा।		
8	7	'समिति ने यह इच्छा प्रकट की है कि	राज्यों, जिन्होंने विकेन्द्रीकृत खरीद कार्यक्रम अंगीकृत किया है और		<u> </u>
		निधियां, जो ठौस लोक वित्त के रूप में	l		
`		राज्यों को विभिन्न् योजनाओं के अंतर्गत	l	खादयान्न खरीद	के लिए
`		केन्द्र द्वारा आवंटित की जाती हैं तथा जो	किया जाता है। राज्यों को राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम तथा		रु प्रवाह की
		स्थायी विकास के लिए पूर्व शर्तों में शामिल	अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त	प्रक्रिया पहले से	ही मौजूद है।
		हैं, का निर्बाध प्रवाह होना चाहिए। इस	दरों पर खादयान्न का आवंटन किया जाता है। आर्थिक लागत तथा		
`		संबंध में, यह समिति किसानों से धान की	केन्द्रीय निर्गम मूल्य, जिस पर गैर-डीसीपी राज्यों को खादयान्न		
			निर्गमित किया जाता है, में जो अन्तर होता है उसकी प्रतिपूर्ति		
		सरकार से ऋण्लेते समय राज्य सरकारों	खादय-आर्थिक सहायता के रूप में भारतीय खादय निगम को की		
		द्वारा साम्ना किए जाने वाले मुद्दे को	जाती है। इसके अतिरिक्त भारतीय खादय निगम गैर-डीसीपी		
		रेखांकित करना चाहेगी। अनंतिम अग्रिम	राज्यों को, एफसीआई दवारा उनसे प्राप्त खादयान्न की मात्रा के	•	
!		आर्थिक सहायता समय पर मुहैया न कराए	लिए भी निधियां जारी करता है। डीसीपी राज्यों के मामले में,		
			उनके दवारा एनएफएसए तथा ओ डब्ल्यू एस योजना के तहत		
	1	प्रतिपूर्ति के उक्त उधार ली गई धनराशि	खरीद किए गए और वितरित किए गए खादयान्न की मात्रा के		
			लिए भारत सरकार दवारा राज्यों को खादय सब्सिडी सीधे जारी की		
			जाती है। डीसीपी राज्य, डीसीपी योजना को कार्यान्वित करने के		
			लिए उनके दवारा खर्च की गई निधियों की प्रतिपूर्ति के लिए		
		समस्या का एक प्रणालीगत समाधान	पूर्व/चाल् तिमाही के तिमाही-वार सब्सिडी बिल प्रस्तुत करते हैं।		

सिफारिश	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा	टिप्पणी
संख्या			•	(यदि कोई
			या अस्वीकृत	हो)
2	3	4	5	6
		l		
	उद्देश्यों को प्रभावकारी ढंग से प्राप्त किया	_		
	जा सके।'	·		
Ļ	केन्द्र सरकार तथा वित्त आयोग द्वारा	प्रमाण-पत्र, खादयान्न की आर्थिक लागत आदि को ध्यान में रखते		
	विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत राज्यों को जारी			
	की जाने वाली निधि का स्पष्टीकरण किया	अनंतिम/अग्रिम सब्सिडी अंतिम लेखा परीक्षित खातों की प्रतीक्षा		
	जाना चाहिए और आम जनता के लिए इन्हें	किए बिना निर्मुक्त की जाती है। समाज के कमजोर वर्गों के बीच		
	पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र में मुहैया	खादयान्न का वितरण सुनिश्चित करने हेतु खादय एवं सार्वजनिक		
	कराया् जाना चाहिए।	वितरण विभाग दवारा समय से खादय सब्सिडी (वित्त मंत्रालय		
		दवारा यथा आवंटित) निर्मुक्त की जाती है। अनंतिम सब्सिडी में		
		शत प्रतिशत निर्धारित लागत (लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य,		
		सांविधिक प्रभार, मिलिंग प्रभार शामिल हैं) तथा 95 प्रतिशत तक		
		बाकी खरीद संबंधी अनुषांगिक व्यय जैसे- परिवहन, ब्याज, टाट के		
		थैले (गनी), श्रमिक प्रभार, भंडारण प्रभार आदि की लागत शामिल		
		है। शेष बची सब्सिडी का दावा करने के लिए, डीसीपी राज्यों को		
		संबंधित खरीफ बाजार सीजन (केएमएस)/रबी बाजार सीजन		
		(आरएमएस) तथा शेष सब्सिडी, यदि कोई हो, जो जारी की गई		
		1		
	1			
	`			
		· ·		
	संख्या	2 3 खोजना आवश्यक है तािक योजना के उद्देश्यों को प्रभावकारी ढंग से प्राप्त किया जा सके।' केन्द्र सरकार तथा वित्त आयोग द्वारा विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत राज्यों को जारी की जाने वाली निधि का स्पष्टीकरण किया जाना चािहए और आम जनता के लिए इन्हें पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र में मुहैया	प्रांजना आवश्यक है ताकि योजना के उद्देश्यों को प्रभावकारी ढंग से प्राप्त किया जा सके।' केन्द्र सरकार तथा वित्त आयोग द्वारा विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत राज्यों को जारी की जाने वाली निधि का स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए और आम जनता के लिए इन्हें पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र में मुहैया कराया जाना चाहिए।  के अविविध्य के प्रभावकारी ढंग से प्राप्त किया प्रमाण-पत्र, खादयान्न की आर्थिक लागत आदि को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाती है। को जाने वाली निधि का स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए और आम जनता के लिए इन्हें पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र में मुहैया कराया जाना चाहिए।  कराया जाना चाहिए।  कराया आवंटित) निर्मुक्त की जाती है। समाज के कमजोर वर्गों के बीच खादयान्न का वितरण सुनिश्चित करने हेतु खादय एवं सार्वजनिक वितरण विभाग दवारा समय से खादय सब्सिडी (वित्त मंत्रालय दवारा यथा आवंटित) निर्मुक्त की जाती है। अनंतिम सब्सिडी में शत प्रतिशत निर्धारित लागत (लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य, सांविधिक प्रभार, मिलिंग प्रभार शामिल हैं) तथा 95 प्रतिशत तक बाकी खरीद संबंधी अनुषांगिक व्यय जैसे- परिवहन, ब्याज, टाट के थैले (गनी), श्रमिक प्रभार, भंडारण प्रभार आदि की लागत शामिल हैं। शेष बची सब्सिडी का दावा करने के लिए, डीसीपी राज्यों को	संख्या  2  अंजना आवश्यक है ताकि योजना के उद्देश्यों को प्रधावकारी ढंग से प्राप्त किया जा सकी।' केन्द्र सरकार तथा वित्त आयोग द्वारा विक्षिण और तथा वित्त आयोग द्वारा विक्षिण और आग जनता के लिए इन्हें पादशीं तरीके से सार्वजिक क्षेत्र में मुहैया कराया जाना चाहिए और आग जनता के लिए इन्हें पादशीं तरीके से सार्वजिक क्षेत्र में मुहैया कराया जाना चाहिए।  अर्ग तरीके से सार्वजिक क्षेत्र में मुहैया कराया जाना चाहिए।  अर्ग तरीक से सार्वजिक क्षेत्र में मुहैया कराया जाना चाहिए।  अर्ग तरीक से सार्वजिक क्षेत्र में मुहैया कराया जाना चाहिए।  अर्ग विश्व विश्व विश्व कराया काना चाहिए।  अर्ग विश्व विश्व विश्व कराया काना विल्य के स्थान में रखते हुए कार्रवाई की जाती हैं। समाज के कमजोर वर्गों के बीच खादयाल्ल का वितरण सुनिश्चत करने हेतु खादय एवं सार्वजिक वितरण विशाग दवारा समय से खादय सर्वस्मेडी (वित्त मंत्रालय दवारा यथा आवंदित) निर्मुक्त की लाती हैं। जितन सन्दिस्डी में शत प्रतिशत निर्मुक्त की खारी हैं। जीतों हैं। जीतों हैं। जीतों में स्विच क्रिक प्रभार, मिलिंग प्रभार शामिल हैं। शेष बची सब्सिडी क्ष्य व्यय औस- परिवहन, ब्याज, टाट के थैले (गानी), अनिक प्रभार, मंत्रवाण किमार, अंवरण प्रभार आदि की लागत शामिल हैं। शेष बची सब्सिडी का दावा करने के लिए, डीसीपी राज्यों को संबंधित खरीफ बाजार सीजन (अगरम्मएस)/वी बाजार सीजन (अगरम्मएस) तथा शेष सब्सिडी, यदि कोई हो, जो जारी की गई हो, से संबंधित अपने अंतिम खाते प्रस्तुत करना आवश्यक हैं। पिछले पांच वर्षों के वैराल खाव और सार्वजिक वितरण विभाग दवारा एफसीआई और डीसीपी राज्यों को जारी की गई खावय सब्सिडी अनुबंध -।। और ।।। के अनुसार है, जिसे आरटीआई आवेदनों और संसद के प्रश्लों के उत्तरों के माध्यम से सार्वजिक

क्र.सं.	सिफारिश	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा	टिप्पणी
	संख्या			स्वीकृत	(यदि कोई
				या अस्वीकृत	हो)
1	2	3	4	5	6
9	8	समिति ने पाया है कि ब्याज भुगतानों	बजट 2021-22 भाषण में, सरकार ने 2025-26 तक जीडीपी से 4.5	स्वीकृत	
		(निवल आधार) पर बजट अनुमान, बजट	प्रतिशत निम्न स्तर के राजकोषीय घाटे पर पहुंचने की घोषणा की		
		अनुमान (2021-22) में 809701.32 करोड़	है। तदनुसार, सरकार राजकोषीय समेकन की विस्तृत कार्य प्रणाली		
		रुपये से 130949.7 करोड़ रुपये बढ़कर	अपना रही है। बजट अनुमान 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी		
		940651.02 करोड़ रुपये हो गया है अर्थात्	का 6.4 प्रतिशत है, जो कि संशोधित अनुमान 2021-22 में जीडीपी		
		16.17 प्रतिशत की बढ़त। समिति को सूचित	के 6.9 प्रतिशत से निम्नतर है। प्रस्तावित राजकोषीय समेकन		
		किया गया था कि आरबीआई द्वारा	ऋण/जीडीपी अनुपात को नीचे लाने में भी सहायक होगा।		
		नीतिगत कार्रवाई की प्रत्याशा के साथ ही			
		सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गमन के माध्यम			
		से अधिक मात्रा में ऋण लेने के चलते ऐसी			
		उच्चतर व्यवस्था अपनाई गई जिससे प्राप्त			
		लाभ में मजबूती आ सकती है। समिति			
		ब्याज भुगतानों पर नियंत्रण रखने के लिए			
		उन उपायों को करने की जरूरत पर बल			
		देना चाहेगी जिन्हें शीघ्र करने की			
		आवश्यकता है। समिति महसूस करती है			
		कि राजकोषीय घाटे को कम करना और			
		बढ़ते ऋण जीडीपी अनुपात को प्रभावशाली			
		तरीके से प्रबंधित करना अत्यन्त आवश्यक			
		है ताकि अर्थव्यवस्था में राजकोषीय स्थिरता			
		बनी रहे।			

क्र.सं.	सिफारिश	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा	टिप्पणी
	संख्या			स्वीकृत	(यदि कोई
				या अस्वीकृत	हो)
1	2	3	4	5	6
1 10	2 9	समिति पाती है कि आरंभ में बैंकिंग प्रणाली ने गैर-निष्पादनकारी परिसंपतियों (एनपीए) के संबंध में महामारी के झटके का अच्छी तरह से सामना किया है। समिति को जाता है की आरबीआई की वितीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुमानों के विपरीत , अनुस्चित वाणिज्यिक बैंको के सकल एनपीए का अनुपात मार्च, 2021 में 7.48 प्रतिशत से बढ़कर मार्च , 2022 तक 9.80 प्रतिशत हो गया, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सकल स्तर पर एनपीए के आंकड़े 31 मार्च, 2021 को 9.11 प्रतिशत से घट कर 31 दिसम्बर, 2021 तक 7.90 प्रतिशत रह गए हैं। समिति इस मामले में किसी भी शुरुआती उत्साह के प्रति आगाह करना चाहती है, क्योंकि अभी भी बैंकिंग क्षेत्र पर महामारी का कुछ प्रभाव पड़ सकता है। अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए महामारी के प्रभाव को कम करने की मुहिम के भाग के रूप में दी गई अतिरिक्त धनराशी को अवशोषित करना आवश्यक है क्योंकि एनपीए में वृद्धि की संभावना हो	महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह उधारकर्ताओं में अनुशासन पैदा करता है और एक क्रेडिट संस्कृति संबंधी लोकाचार का सृजन करता है जो कि समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के अनुकूल है। बैंकों ने एक सतत प्रक्रिया के रूप में प्रभावी एनपीए प्रबंधन के लिए विभिन्न उपायों को लागू किया है, जो नीचे दिए गए हैं।  1. आरंभिक दबाव के संकेतों की शीघ्र पहचान के लिए खातों का विशेष उल्लेखित खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकरण, जिसके परिणामस्वरूप ऋण दायित्वों की समय पर अदायगी में चूक हुई, बैंकों को एनपीए में अपनी संभावित बढ़ोतरी को रोकने के लिए समय पर उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ करने में सक्षम बनाना;  11. बैंकों में व्यापक, स्वचलित पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) की संस्था, ~80 ईडब्ल्यूएस ट्रिगर के साथ, समयबद्ध उपचारात्मक कार्रवाई के लिए तीसरे पक्ष के डेटा और वर्कफ़्लो का उपयोग सक्रिय रूप से दबाव का पता लगाने और एनपीए में बढ़ोतरी को कम करने के लिए करना;	5 स्वीकृत	6 शून्य

क्र.सं.	सिफारिश	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा	टिप्पणी
	संख्या			स्वीकृत	(यदि कोई
				या अस्वीकृत	हो)
1	2	3	4	5	6
		अभी विवेक से काम लेने की आवश्यकता है	के लिए 42 प्रारंभिक चेतावनी संकेतों (ईडब्ल्यूएस) की एक		
		और अनर्जक आस्तियों को कम करने तथा	सांकेतिक सूची उपलब्ध कराते हैं, और बैंकों को सलाह		
		वस्ली को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा	देते हैं कि वे सूची से प्रासंगिक संकेतों को अपनाएं या		
		उठाए गए कदमों यथा दिवाला और ऋण -	अनुक्लित करें और अपने अनुभव, ग्राहक प्रोफ़ाइल और		
		शोधन क्षमता संहिता (आईबीसी) द्वारा	व्यवसाय मॉडल के आधार पर अन्य अलर्ट/सिग्नल भी		
		क्रेडिट संस्कृति में लाया गया बदलाव,	शामिल करें।		
		वित्तीय परिसंपतीयों के प्रतिभूतिकरण और	IV. पर्यवेक्षी प्रक्रिया के दौरान आरबीआई दवारा ईडब्लूएस ढांचे		
		प्नर्निर्माण में संशोधन और स्रक्षा हितों का	के कार्यान्वयन की स्थिति और इसकी प्रभावशीलता का		
		प्रवर्तन (एसएआरएफ्एईएसआई )अधिनियम	आकलन किया जाता है  आरबीआई दवारा पाई गई		
		और इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए	किसी भी कमी के मामले में पर्यवेक्षी प्रक्रिया के दौरान		
		आरबीआई और सेबी द्वारा जानभूझकर	यह अनुपालनसुधार के लिए / बैंको के साथ अनुवर्ती		
		च्ककर्ताओं के वीरुध कार्रवाई, ऋण वसूली	कार्यवाही करता है		
		न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि			
		, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा सरकारी	<ul> <li>v. अपने ऋण खातों में उधारकर्ताओं के चुकौती व्यवहार की</li> </ul>		
		पूंजी जुटाने के पूरक उपायों के रूप में	सूचना क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को दी जाती है,		
		सरकारी प्रोत्साहन देने तथा उन्हें अनर्जक	और बैंक इस जानकारी को क्रेडिट मूल्यांकन और		
		आस्तियों के समाधान पर निर्णय लेने के	उधारकर्ताओं को आगे ऋण स्वीकृत करने के लिए निर्णय		
		लिए सक्षम बनाने जैसे उपायों को उसी	लेने की प्रक्रिया में शामिल करते हैं।		
		जोश के साथ जारी रखा जाए।	बैंकों दवारा किए गए सभी उपायों के कारण, वैश्विक परिचालन पर		
]		जारा क साथ जारा रखा जाए।	आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल		
			एनपीए, दिनांक 31.3.2021 की स्थिति के अनुसार 8,35,501 करोड़		
			रुपये (जीएनपीए अनुपात 7.33%) से घटकर दिनांक 31.12.2021 को		
			7,73,470 रुपये करोड़ (जीएनपीए अनुपात 6.39%) हो गया है।		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई
	(1041			या अस्वीकृत	हो)
1	2	3	4	5	6
_			इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए जिसके		
			आंकड़े वर्तमान में उपलब्ध है, दिनाक 31.3.2021 की स्थिति के		
			अनुसार 6,16,616 करोड़ रुपये (जीएनपीए अनुपात 9.11%) से		
			घटकर दिनाक 31.3.2022 को 5,43,498 करोड़ रुपये (जीएनपीए		
			अनुपात 7.31%) हो गया है। आंकई पीएसबी की नवीनतम लेखा		
			परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार है।		
			वितीय प्रणाली पर महामारी के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए		
			आरबीआई ने वितीय स्थिरता तथा विवेकपूर्ण विचार को कायम		
			रखते हुए कई विनियामकीय उपायों की घोषणा की है, जिसमें,		
'			अन्य बातों के साथ-साथ खाते का मानक के रूप में वर्गीकरण		
			बनाए रखते हुए उधारदाताओं को कोविड-19 के कारण दबावग्रस्त		
			खातों को दिनांक 6.8.2020 और 5.5.2021 (दिनांक 4.6.2021		
			को आंशिक रूप से संशोधित) को जारी समाधान संरचना क्रमशः		
			1.0 और 2.0 के दायरे में पुनर्गठित करना शामिल है। इन		
			संरचनाओं को पर्याप्त सुरक्षोपाय तथा कठोर पात्रता शर्ती के रूप में		
			सुनिर्धारित सीमा की शर्तों के अधीन, पूर्व निर्धारित व्यपगन खण्ड,		
			समाधान योजनाओं की व्यवहार्यता के संबंध में बाह्य सत्यापन,		
			अधिकतम दो वर्ष की अधिस्थगन अवधि, पुनर्गठन पश्चात् कठोर		
			निगरानी शर्तों आदि के रूप में तैयार किया गया है।		
		·	आरबीआई ने यह सूचित किया है कि वैसे दबावग्रस्त ऋण खाते,		
			जिनमें समाधान योजनाओं को उपर्युक्त संरचना के अंतर्गत लागू		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
			किया गया है, में आरंभिक अधिस्थगन समाप्त होने और नियमित भुगतान आरंभ होने के पश्चात् वृद्धि हुई है। इसके अलावा सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के विस्तार और राशि को कई बार बढ़ाकर इसके समाप्त होने की तिथि को दिनांक 31.3.2023 कर दिया है। चूंकि योजना के अंतर्गत उपलब्ध सार्वभौम सहायता से कई फर्म अस्थायी रूप से दबाव से उभर पाए थे, ऐसी संस्थाओं की वास्तविक क्रेडिट प्रोफाइल सहायता को जारी रखने पर ही परिशृद्ध होगी। परिणामस्वरूप, उधारदात्री संस्थाओं की आस्ति गुणवता का स्पष्ट स्वरूप उपर्युक्त उपायों को कम करने पर पता चलेगा। आरबीआई ने यह कहा है कि अतः बैंक के लिए यह आवश्यक है कि वे इस संबंध में लापरवाही न बरतें और ऐसे खातों में उभर रहे दबावों को आरंभ में ही अर्थक्षम और गैर-अर्थक्षम फर्म के रूप में वर्गीकृत करते हुए हल करें। इससे संबद्ध प्रक्रिया में औपचारिक दिवालियापन प्रक्रिया से लेकर अधिक अनौपचारिक और न्यायालय से बाहर त्वरित व्यवस्था किया जाना शामिल है। आईबीसी और अन्य मौजूदा सांविधिक समाधान तंत्र, यदि उनका प्रभावी प्रयोग किया जाए तो, इनके अंतर्गत आने वाली संरचना इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है।		
11	10		पिछले कुछ वर्षों के दौरान एक्जिम बैंक का पर्याप्त पूंजीकरण हुआ है। सरकार ने प्रत्यक्ष इक्विटी अंशदान के माध्यम से और भारत सरकार की विशेष (जीओआई) प्रतिभूतियां जारी करके पूंजी निवेश किया है। पिछले पांच वर्षों में, वित वर्ष 2021-22 में 750 करोड़	स्वीकृत	शून्य

क्र.सं.	सिफारिश	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा	टिप्पणी
	संख्या			स्वीकृत	(यदि कोई
				या अस्वीकृत	हो)
1	2	3	4	5	6
		से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और	रुपये सहित भारत सरकार द्वारा एक्ज़िम बैंक में पूंजी के रूप में		
			9,050 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। संस्थान के पूंजी		
		कामकाज के समन्वय के लिए प्रमुख	पर्याप्तता अनुपात को देखकर इसकी पुष्टि की जा सकती है, जो		
		वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है।	कि वित्त वर्ष 2021-22 के अंत में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)		
		समिति की राय है कि एक्जिम बकैंक को	द्वारा निर्धारित 9 प्रतिशत की न्यूनतम आवश्यकता के मुकाबले		
		पर्याप्त रूप से क्रेडिट कौशल से लैस होना	30.49 प्रतिशत से अधिक था।		
		चाहिए और वर्तमान भूराज-नीतिक स्थिति के आलोक में, पर्याप्त रूप से पूंजीकृत होना चाहिए ताकि अन्य देशों के साथ विशेष रूप से अफ्रीका में परियोजनाओं के वित्तपोषण में चीन जैसे अन्य देशों के साथ कुशलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर सके और भारतीय व्यवसायों के वैश्वीकरण को सुगम बनाए, जो वैश्विक आकांक्षाओं वाली भारतीय कंपनियों को अलग पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।	क्रेडिट प्रक्रियाओं और कौशल के संबंध में, एक्जिम बैंक द्वारा यह सूचित किया जाता है कि क्रेडिट संवितरण और क्रेडिट जोखिमों के प्रबंधन से संबंधित एक्जिम बैंक की प्रक्रियाएं और प्रणालियां समय के साथ काफी विकसित हुई हैं। एक्जिम बैंक ने एक क्रेडिट जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) स्थापित की है जिसमें परस्पर-कार्यात्मक प्रतिनिधित्व हैं। सीआरएमसी को बैंक-व्यापी आधार पर क्रेडिट जोखिमों के प्रबंधन और नियंत्रण का काम सौंपा		

क्र.सं.	सिफारिश	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा	टिप्पणी
	संख्या			स्वीकृत	(यदि कोई
				या अस्वीकृत	हो)
1	2	3	4	5	66
			इसके अलावा, एक्ज़िम बैंक बैंक के विभिन्न कार्यक्षेत्रों और कार्यों		
			को देखने के लिए प्रबंधन स्नातकों, चार्टर्ड एकाउंटेंटों, बैंकरों,		
			अर्थशास्त्रियों, प्रलेखन विशेषज्ञों, इंजीनियरों, भाषाविदों और आईटी		!
			विशेषज्ञों को नियुक्त करता है। बैंक अपने कर्मचारियों के कौशल		
			के निरंतर उन्नयन की सुविधा के लिए अपने कर्मचारियों के लिए		
			विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। अधिकारियों को		
			विशिष्ट विभागों के लिए कौशल सेट बढ़ाने के उद्देश्य से ई-लर्निंग		
			सहित अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और संगोष्ठियों के लिए भी	,	
			नामित किया जाता है।		
12	11	समिति मानती है कि एनएबीएफ़आईडी की	बजटीय आवंटन के भाग के रूप में दिनांक 31.1.2022 को संस्थान	स्वीकृत	शून्य
		स्थापना बाज़ार की विफलताओं को दूर	को 20,000 करोड़ रुपये की पूंजीगत सहायता जारी की गई है।		
		करने के लिए की गई है जो दीर्घकालिक,	इसके अलावा, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक		
		कम मार्जिन और अवसरंचना के वित्तपोषण	अधिनियम, 2021 की धारा 21 (2) के अनुसार, कर-मुक्त बांड जारी		
		की जोखिम भरी प्रकृति से उत्पन्न हुई है	करके संभावित बचत के एवज में दिनांक 31.3.2022 को 5,000		
		जिसके लिए 'पेशेंट' पूंजी कि आवश्यकता	करोइ रुपये का अनुदान भी जारी किया गया है।		
Ì		होती है। समिति को बताया जाता है कि			
		20000 करोड़ रुपये इक्विटी सहायता के	राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफीड) द्वारा दी		
		रूप में किए गए हैं और अन्य 5000	गई सूचना के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मौजूदा		
		करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिये जाएंगे	अखिल भारतीय वितीय संस्थान (एआईएफआई) के दिशानिर्देशों के		
		और आगे बताया गया कि अगले वितीय			
		वर्ष की पहली तिमाही में ऋण स्वीकृत	और मौजूदा पूंजीगत सहायता से, संस्थान एक अवधि में लगभग		
		किए जाएंगे। समिति एनएबीएफ़आईडी			

क्र.सं.	सिफारिश <u>-</u>	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा	टिप्पणी (यदि कोई
	संख्या			स्वीकृत या अस्वीकृत	(याद काइ
1	2	3	4	5	6
		को पर्याप्त इक्विटी पूंजी के साथ उधार लेने		<del></del>	
		और अपनी बैलेंस शीट का उचित रूप से	34 120 11 10 (COS) 311		
		विस्तार करने तथा अवसरंचना			
		परियोजनाओं के लिए ऋण वित्तपोषण प्रदान			
		करने की आवश्यकता पर ज़ोर देना चाहती			
		है  समिति का मानना है कि जिस प्रमुख			
		उद्देश्य के साथ विकास वित्तीय संस्थान			
		(डीएफ़आई) की स्थापना की गयी है,			
		अर्थात अवसरंचना वित्तपोषण के लिए			
		आवश्यक बॉन्ड और डेरिवेटिव बाजार			
		का विकास तथा वित्तपोषण अवसंरचना			
		का कारोबार करने सहित भारत में			
		दीर्घकालिक गैर -आश्रय अवसंरचना			
		वित्तपोषण के विकास में सहयोग देना,			
		उसे प्राप्त करना आवश्यक है।			
		उस प्रान्त करना जापरपक है।			
13	12	समिति नोट करती है कि सरकार ने	75 डिजिटल बैंकिंग इकाई (डीबीयू) स्थापित करने के संबंध में की	स्वीकृत	शून्य
			गयी बजट घोषणा के अनुसरण में डीबीयू स्थापित करने की रूप-		
			रेखा निर्धारित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डीबीयू की		
			स्थापना संबंधी समिति का गठन किया गया था। डीबीयू		
			विशेषीकृत निर्धारित स्थान कारोबारी इकाइयां होंगी, जिनके पास		
			स्व-सेवा तथा सहायता पद्धति में कार्यकुशल, पेपररहित, सुरक्षित		
-		••	और संबद्ध माहौल में डिजिटल बैंकिंग उत्पाद और सेवा उपलब्ध		

क्र.सं.	सिफारिश	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा	टिप्पणी
	संख्या		_	स्वीकृत	(यदि कोई
				या अस्वीकृत	हो)
1	2	3	4	5	6
		के अलावा सेवा प्रदाताओं के लिए ग्रामीण	कराने के लिए डिजिटल अवसंरचना होगी। आरबीआई की समिति		
		बाजार खोलने की क्षमता है , क्योंकि वे	की सिफारिशों के आधार पर डिजिटल बैंकिंग इकाई स्थापित करने		
		प्रौद्योगिकी द्वारा सहायता प्राप्त बेहतर	संबंधी दिशानिर्देश आरबीआई के दिनांक 7.4.2022 के परिपत्र के		
		ग्राहक अनुभव प्रदान करने और स्थापित	द्वारा जारी किए गए थे और ये दिशानिर्देश पब्लिक डोमेन में		
		करने में सस्ते होंगे। समिति इस घोषणा को	उपलब्ध हैं। इस परिपत्र में डीबीयू में दी जाने वाली विभिन्न प्रकार		
		आगे नोट करती है कि 1.5 लाख डाकघरों	की सेवाओं का ब्यौरा दिया गया है। सभी बैंकों को डीबीयू की		
		में से सौ प्रतिशत कोर बैकिंग प्रणाली से	अवसंरचना की भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा उन्हें		
		जुड़ जाएंगे , जिससे वित्तीय समावेशन होगा	डीबीयू की साइबर सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय सुनिश्चित		
		और नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम	करने की सलाह दी गयी थी। इस परिपत्र में, अन्य बातों के साथ-		
		के माध्यम से खातों तक पहुँच आसान	साथ, डीबीयू से यह अपेक्षा की गई है कि वे सुरक्षित डिजिटल		
		होगी और डाकघर खातों और बैंक के बीच	बैंकिंग पद्धति तथा ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र के संबंध में		
		धन का ऑनलाइन हस्तांतरण भी होगा	ग्राहक को जानकारी देकर उनमें जागरूकता सृजित करे। आरबीआई		!
		खाते जो कि अंतरसंचालनीयता को सक्षम	से प्राप्त सूचना के अनुसार डीबीयू से प्रस्तावित सेवाओं को रिजर्व		
		करेंगे और वित्तीय समावेशन को बढ़ाएंगे।	बैंक - समेकित लोक पाल योजना (आरबी-आईओएस), 2021 के		
		समिति डिजिटल अवसंरचना और वित्तीय	अंतर्गत कवर किया जाएगा और ग्राहक शिकायत निवारण के लिए		
		समावेशन को बढ़ाने की दिशा में इन कदमों	सीएमएस पोर्टल से संपर्क कर सकते हैं।		
		पर ध्यान देती है लेकिन सिफ़ारिश करती			
		है कि इन्हें पर्याप्त जागरकता कार्यक्रमों के	रिजर्व बैंक - समेकित लोक पाल योजना (आरबी-आईओएस),		
		साथ जोड़ा जाए ताकि नागरिक ऑनलाइन	2021 में ग्राहकों की शिकायत, जिसमें आरबीआई द्वारा		
		धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के शिकार न	विनियमित संस्थाओं द्वारा की गयी अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक निधि		
		हों और अनधिकृत एलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		लेनदेन से सुरक्षित रहें। जब भी पीड़ितों	से न किया जाए जिससे ग्राहक संत्ष्ट हो अथवा विनियमित		
		द्वारा इस तरह की डिजिटल धोखाधड़ी की			

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
1	2		संस्था द्वारा 30 दिन के भीतर उत्तर न दिया जाए तो उक्त शिकायत के निःशुल्क समाधान का उपबंध किया गया है। किसी विवाद में उस राशि की कोई सीमा नहीं है जिसे लोकपाल के समक्ष लाया जा सकता है जिसके लिए लोकपाल अधिनिर्णय दे सकता है। तथापि, शिकायतकर्ता को हुए किसी भी परिणामी नुकसान के लिए, लोकपाल के पास शिकायतकर्ता के समय के नुकसान, किए गए खर्चों और शिकायतकर्ता द्वारा सहन किए गए उत्पीड़न/मानसिक पीड़ा के लिए 1 लाख रुपये तक के मुआवजे के अतिरिक्त 20 लाख रु. का मुआवजा देने की शिकायतं होंगी। इस योजना के तहत ऑनलाइन की गई शिकायते शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) पोर्टल (https://cms.rbi.org.in) पर दर्ज की जाएंगी। विनियमित संस्था (आरई) को उन मामलों में अपील करने का अधिकार नहीं होगा जहां लोकपाल द्वारा संतोषजनक और समय पर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत न करने के लिए उसके विरुद्ध अधिनिर्णय जारी किया जाता है।  शिकायतों को त्वरित निवारण आरबीआई के दिनांक 6.7.2017 के परिपत्र के द्वारा निर्देशित होगा, जिसमें अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहक की देयता को सीमित करने के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के मामले में ग्राहक की विराम से ग्राहक की निर्वा के मामले में ग्राहक की	5	6

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई टो)
1	2	2		मा अस्यापृता	
1	2	3	भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपाल कार्यालयों द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में ग्राहकों में जागरूकता लाने का कार्य किया जा रहा है:  (क) धोखाधड़ी वाले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करने वाले अपने नियमों पर अभियानों को फिर से चलाकर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में धोखाधड़ी पर आरबीआई के निर्देशों के बारे में ग्राहक को जागरूक करना;  (ख) आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली डिजिटल वितीय सेवाओं के सभी ग्राहकों के लिए एकीकृत लोकपाल योगजना के रूप में आरबी-आईओएस के बारे में ग्राहकों को जागरूक करना ( बैंक के साथ साथ गैर बैन भुगतान प्रणाली प्रतिभागी );  (ग) रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-	या अस्वाकृत 5	हो) 6
			आईओएस ) , 2021 पर अखिल भारतीय स्तर पर एक बहू- मीडीया अभियान चलाया जा रहा है ;  (घ) यूपीआई धोखाधड़ी और एईपीएस पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग पर अभियान भी चलाए जा रहे हैं।  ये सभी अभियान दूरदर्शन और आकाशवाणी पर, और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहंचने में मदद करने के लिए अन्य राष्ट्रीय/स्थानीय दैनिक		

क्र.सं.	सिफारिश	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा	टिप्पणी
	संख्या			स्वीकृत	(यदि कोई
				या अस्वीकृत	हो)
1_	2	3	4	5	- 6
			समाचार पत्रों में प्रसारित किए जाते हैं। ये अभियान लोकप्रिय टीवी		
			शृंखला "कौन बनेगा करोइपति" का भी एक हिस्सा हैं, जिसे		
			ग्रामीण क्षेत्रों में जनता द्वारा व्यापक रूप से देखा जाता है।		
			आईबीए के परामर्श से आरबीआई द्वारा 75 लोकेशनों को अंतिम		
			रूप दिया गया है। यह परिकल्पना की जाती है कि डीबीयू मुख्य		
			रूप से जागरूकता पैदा करने और देश में डिजिटल वितीय		
			समावेशन को बढ़ाने के साथ-साथ डिजिटल वितीय सेवाओं का	t:	
			लाभ उठाने के प्रति ग्राहकों की हिचकिचाहट को कम करने में		
			मदद करेंगे। साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के हिस्से के		
			रूप में यह उल्लेख किया जाता है कि डीबीयू के रूप में परिचालन		
			कर रहा बैंक जागरूकता बढ़ाने और ग्राहकों को साइबर शिक्षा		
			प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा:		
			(i) डीबीयू पर आने वाले ग्राहकों को शिक्षित करें कि वे अपने		
			खातों और कार्डी, लॉगिन क्रेडेंशियल्स, पिन आदि के		
			संवेदनशील विवरणों को अज्ञात व्यक्तियों के साथ डीबीयू		
			में बैनर और मोबाइल ऐप, व्हाटसएप, एसएमएस और		
			ईमेल आदि के माध्यम से संदेश प्रदर्शित करके साझा न		
			करें।		
			(ii) फ़िशिंग, हैकिंग, स्पूफिंग, स्मिशिंग, सेवा हमले को		
			नकारना आदि पर साइबर सुरक्षा जागरूकता का आयोजन	•	
			स्थानीय भाषा में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से		
			प्रसारित किया जा सकता है। ग्राहकों को क्या करें और		

क्र.सं.	सं. सिफारिश सिफारिश संख्या		सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई
	(104)			या अस्वीकृत	हो)
1	2	3	4	5	6
			क्या न करें के लिए जागरूक किया जाएगा जब वे		
			डिजिटल बैंकिंग इकाई- डीबीयू पर जाते हैं।		
			(iii) डीबीयू एटीएम स्क्रीन पर या डीबीयू लाउंज में स्थापित		
			वीडियो वॉल पर लगाई गई साइबर सुरक्षा वीडियो।		
			(iv) साइबर सुरक्षा जागरूकता पर डीबीयू में यादृच्छिक (रेंडम)		
			प्रश्नोत्तरी।		
			(v) डिजिटल धोखाधड़ी पर ग्राहक शिकायत निवारण		
:			प्रक्रियाओं पर मार्गदर्शन।		
14	13	समिति आगे चाहती हे कि बेहतर ग्राहक	भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि विषयगत मल्टीमीडिया -	स्वीकृत	शून्य
		सेवा की सुविधा देने के लिए शिकायत	अभियानों, टेलीविजन और सोशल मीडिया अभियानों पर अद्वितीय		
		निवारण तंत्र का व्यापक प्रचार किया जाए	सामग्री में भागीदारी के माध्यम से उनका संचार विभाग नियमित		
		और प्रयोक्ताओं में विश्वास पैदा किया जाए	रूप से मासिक आधार पर जन जागरूकता अभियान चला रहा है।		
		क्योंकि आबादी के एक बड़े हिस्से में	ये अभियान टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा थिएटर, वेबसाइट, एसएमएस,		
		डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव को	होर्डिंग, प्रिंट माध्यम, टविटर, फेसबुक आदि जैसे विभिन्न चैनलों के		
		स्वीकार करने में प्रारंभिक अवरोध और	माध्यम से किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दर्शकों की संख्या को		
		आशंकाएं विद्यमान हैं। प्रणालियों और	ध्यान में रखते हुए विभिन्न चैनलों में इन सभी अभियानों का		
		प्रक्रियाओं को सुंदद करने की आवश्यकता है	चयन किया जाता है।		
		ताकि ऑनलाइन धोखाधड़ी को कम से कम			
		किया जा सके और ऑनलाइन दुर्घटना के	हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने वितीय साक्षरता सप्ताह के		
	:	मामले में नागरिकों को विशेष रूप से	दौरान 'डिजिटल अपनाओ ,सुरक्षित रहो' नाम से अभियान चलाए।		
		ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ेबड़े विज्ञापनों-, नुक्कड़	शिकायत निवारण तंत्र की प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए		
		नाटकों, संगोष्ठियों, पोस्टर आदि के माध्यम	आरबीआईओएस-, 2021 पर एक मल्टीमीडिया अभियान भी चलाया -		
			गया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित विभिन्न अन्य मल्टी		

क्र.सं.	सिफारिश	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा	टिप्पणी
	संख्या			स्वीकृत	(यदि कोई
				या अस्वीकृत	हो)
1	2	3	4	5	6
_		से व्यापक प्रचार करके पर्याप्त रूप से	मीडिया अभियानों और सोशल मीडिया अभियानों में अन्य बातों के		
		जागरूक और संसूचित करने की	साथसाथ-, बैंकिंग लोकपाल पर 360° सम्पूर्ण अभियान, वरिष्ठ		
		आवश्यकता है ताकि ऐसा तरीका विकसित	नागरिकों के लिए बैंकिंग सुविधाओं पर बहुमीडिया अभियान-,		!
		किया जाए जिससे उनके दायित्व को कम	ग्राहक की सीमित देयता, सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग, साइबर सुरक्षा,		
-		किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए	डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह, कार्ड पर सीमा निर्धारित		
		कि उनका पैसा भारतीय अर्थव्यवस्था को	करना, डिजिटल बैंकिंग की सुविधा, काल्पनिक प्रस्ताव, व्यक्तिगत		
		डिजिटल बनाने की दिशा में सुरक्षित है।	जानकारियों की चोरी, बैंक में मोबाइल नंबर और ईमेल पंजीकृत		
			करना, अनिधकृत डिजिटल उधार देने वाले प्लेटफार्ममोबाइल ऐप्सा,		
			केवाईसी को अद्यतन करने संबंधी धोखाधड़ी वाले कॉलसंदेश/,		
			ओटीपी, पिन और बैंक खाते के विवरण आदि को साझा न करने		
			के खिलाफ चेतावनी संदेश।		

## अनुबंध-॥

पूर्ववर्ती पांच वर्षी तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विकेंद्रीकृत प्रापण स्कीम को संचालित करने वाले भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्यों को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी की गई सब्सिडी:

(करोड़ रुपए में)

	भार	तीय खाद्य निगम	डीसीपी राज्य		
वर्ष	जारी की गई वास्तविक एनएसएसएफ कर्ज का समायोजन		जारी की गई	जारी की गई कुल सब्सिडी	
	सब्सिडी*	के उपरांत जारी की गई निवल सब्सिडी	सब्सिडी	~	
	(1)	(2)	(3)	(4 = 1+3)	
2017-18	*101981.69	61981.69	38000	139981.69	
2018-19	*140098.00	70098	31029.49	171127.485	
2019-20	*119164.02	75000	**44944.35	164108.37	
2020-21	462789.00	##462789.00	66901.77	529690.77	
2021-22	208929.00	208929.00	79789.54	288718.54	
2022-23	25000.00	25000.00	16.54	25016.54	
(31.5.2022 तक)					

\*इसमें वित्तीय वर्ष 2017-18 में 40,000 करोड़ रुपए की एनएसएसएफ की राशि, वित्तीय वर्ष 2018-19 में 70,000 करोड़ रुपए तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 44,164.02 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है।

\*\*वर्ष 2019-20 का संशोधित अनुमान.33,508.35 करोड़ रुपए का था। इसमें डीसीपी राज्यों (एनएसएसएफ कर्ज से भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को जारी की गई 11,436 की राशि भी शामिल है और वर्ष 2020-21 के दौरान डीसीपी शीर्ष से भारतीय खाद्य निगम को प्रतिपूर्ति की गई राशि के समतुल्य थी।

## 4,62,789.00 करोड़ रुपए की राशि में से, 3,39,256.00 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग दिनांक 31.03.2021 को भारतीय खाद्य निगम के एनएसएसएफ के संपूर्ण कर्ज की चुकौती कर दी गई थी।

पिछले 5 वर्षों के दौरान डीसीपी राज्यों को जारी की गई सब्सिडी को दर्शाने वाला विवरण:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	आंध्र प्रदेश	6060.17	4542.57	7404.42	8424.72	9323.38
2	बिहार	4535.11	2291.68	2535.71	4117.33	7671.90
3	छत्तीसगढ	4272.36	3303.19	4628.11	7193.13	9047.77
4	गुजरात	-	9.31	69.03	9.24	749.43
5	कर्नाटक	166.95	417.53	205.79	323.99	1682.12
6	केरल	782.06	620.23	469.30	1214.98	1777.86
7	मध्य प्रदेश	8113.23	6026.97	8888.39	11946.44	14420.62
8	महाराष्ट्र	583.66	0.00	1920.17	2555.74	4082.07
9	ओडिशा	5133.57	4651.01	5807.45	8985.73	7892.69
10	पंजाब	796.33	1722.33	1612.09	1761.53	2047.53
11	तमिलनाड्	651.70	1136.61	3242.79	3109.76	6250.93
12	तेलंगाना	3853.71	2559. 31	4858.89	6879.59	7665.02
13	उत्तराखंड	860.11	329.8	903.12	1371.33	1554.43
14	पश्चिम बंगाल	2042.30	3279.69	2194.86	8792.03	5421.34
15	झारखण्ड#	-	-		3.66	-
16	त्रिपुरा	-	-	-	29.79	15.58
17	 डीबीटी	148.74	139.25	204.24	182.78	186.87
	कल	38000	31029.48	44944.36	66901.77	79789.54

#झारखंड केएमएस 2016-17 के लिए डीसीपी (केवल 1 जिले के लिए), वर्ष 2017-18 के लिए (केवल 5 जिलों के लिए) और वर्ष 2018-19 के लिए (केवल 6 जिलों के लिए) था। उन्होंने केएमएस 2019-20 में गैर-डीसीपी को स्वीकार कर लिया है।

**Annexure** 

Statement showing Action Taken on the recommendations/Observations contained in the Fortieth Report of the Standing Committee on Finance(17<sup>th</sup> Lok Sabha) presented in Lok Sabha/laid in Rajya Sabha on 22<sup>nd</sup> March,2022.

S. No.	Recom mendati	Recommendation	Action Taken by the	Whether Accepted or	Remarks (if any)
	on Number		Government	Not by Government	
1	2	3	<u> </u>	5	6
	1	The Committee have been impressing upon the need for realistic preparation of budget estimates and revised estimates and full utilisation of allocated funds. The Department of Economic Affairs, being the nodal department in formulation of the budget is expected to observe the requisite financial norms and maintain fiscal prudence, while making budgetary allocations and thus endeavour to be a role model for other Ministries/departments in preparation of realistic estimates and optimal utilisation of funds sanctioned. The Committee note that in the year 2021-22, the BE of Rs. 99549.53 crore was drastically reduced to Rs. 55168.83 crore in the revised estimates i.e. a steep decrease of	It is submitted that total expenditure under the DEA grant was ₹7602.84 crore from 15.02.2022 to 31.03.2022. Out of Rs.7602.84 crore, ₹7096.69 crore was booked in the month of March, 2022 mainly due to the following reasons:-  (i). Actual provision of ₹1069.86 crore over BE 2021-22 under Revenue Section could only be made available by way of 3rd and Final Supplementary Demands for Grants (2021-22) which was approved on 23.03.2022, accordingly the funds could be utilised in the month of March, 2022.  (ii). Inter Account transfer of ₹1236.93 crore towards National Investment Fund (NIF) (Budget Head: 5465.01.797.02.00.63) was made in the Month of March, 2022 on the basis of actual expenditure occurred in National Investment and Infrastructure Fund(NIIF) during the F.Y. 2021-22.  (iii). Inter Account transfer of ₹1409.06 crore towards Gold Monetization Scheme (GMS), 2015 (Budged Head: 4046.00.206.06.00.54) was made in the Month of March, 2022 on the basis of information received from RBI w.r.t. total gold mobilised during the F.Y. 2021-22.	Yes	

S. No.	Recom mendati on Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		Rs. 44380.70 crore. The reason cited by DEA for the decreased fund requirement is mainly on account of the Support for Infrastructure Pipeline, which was a centralized provision made in the demands of DEA to cater to the requirement of funds for projects / programs of various departments that show good progress on capital expenditure during the course of the year. The Committee are informed that the provision was accordingly reallocated for utilization by the various Ministries / Departments for their capital expenditure. It is further informed by the Department that the actual expenditure for 2021-22 as on 14.02.2022 is Rs. 40149.32 crore. The Committee would like to point out that compared to the RE 2021-22, the Department still has about Rs. 15019.51 crore (as on 14.02.2022) which remains	<ul> <li>(iv). ₹769.38 crore was made to International Financial Institutions in the month of March, 2022 on the basis of demand raised by them.</li> <li>2. In view of above, DEA's Grant may not be considered for expenditure booked in the month of March, 2022 as instances of "March rush in expenditure", however, Hon'ble Committee's recommendation has been noted for future compliance.</li> </ul>		

S. No.	Recom mendati on Number	Recommendation				Action Caken by the Government			Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3				4			5	6
-		unutilised with just about a								-
		month and a half to go for this								
		financial year. Needless to								
		emphasise, such chronic instances								
		of "March rush in expenditure"								
		should be clinically avoided and								
		evenness in spending should be								
		maintained across quarters								
'		instead of heavy expenditure in								
		last quarter. This is necessary for								
		, <del>-</del>								
		better targeting and absorption of								
	_	funds allocated while keeping the								
1		economy on the path of growth								
		and fiscal stability.				1.5	165.7		- X7	
2	2.	With regard to Major Head 5465-	172		_	-		ments in General	Yes	-
		investment In General Financial		eply may	_	ntutions, th	e ionowin	g table and year		
		and Trading institution, the Committee note that the budget	WISCIE	spry may	DE SEEII			(₹ in crore)		
		estimate for 2019-20 was Rs.	Sl.	F.Y.	BE	RE	Actual	Savings		
		2247.01 crore and the actual was	No.	****			Expendit			
		Rs. 4041.34 crore while BE					ure	Supplementary		
		FY 2020-21 was Rs. 13500.03						- Actual		
1		crore and actual was Rs. 7482.72						Expenditure)	}	
		crore. The actual expenditure up	1.	2019-20	2247.01	7000.02	4041.34	1958.68		
		to 31.12.2021 is just Rs. 1219.43	2.	2020-21	13500.03	8666.17	7482.72	6017.31		
		crore against the budgeted	3.	L	10750.01	9500.01	4165.07	6584.94		
		allocation of Rs.10750.01 crore.	<u> </u>	2021-22	10/20:01	9300.01	4103.07	0304.94		
	L	The Committee would expect the	<u> </u>						<u> </u>	<u> </u>

S. No.	Recom mendati on	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by	Remarks (if any)
	Number			Government	
	2	Ministry of Finance to refrain from such Instances of Inconsistent allocations in the budgetary exercise as a whole. The Committee would like to further highlight that schemes / activities should be adequately provided for and nurtured systematically and implemented vigorously so that desired objectives are fully achieved in the manner envisaged.	Under MH: 5465, the original grant was ₹2247.01 crore in BE 2019-20. This was augmented to ₹7000.02 crore by obtaining supplementary grant of ₹3753.01 crore and ₹1000.00 crore through re-appropriation of funds. Actual Expenditure was ₹4041.34 crore resulting in savings of ₹ 1958.68 crore. The savings was mainly due to the following reasons:-  (i). Strategic and Social Infrastructure Finance Corporation of India (ISSIFC) (Budget Head: 5465.01.190.45): BE 2019-20 was ₹1000.00 crore. Entire provision remained unutilised due to Non-operationalization of the scheme.  (ii). National Investment Fund (Budget Head: 5465.01.797.02): - ₹1000.00 crore was provisioned for support to Strategic and Social Infrastructure Finance Corporation of India (ISSIFC), however the fund could not be transferred due to NIL expenditure under ISSIFC.  (iii). Special Window for Affordable and Middle-Income Housing (SWAMIH) (Budget Head: 5465.01.190.50): - ₹1000.00 crore was provisioned for SWAMIH at RE 2019-20 stage. Actual expenditure was ₹41.35 crore resulting in savings of ₹958.65 crore. The reason for low expenditure was that the fund was approved in November 2019. Further, it took some time for setting up the fund and completing necessary formalities including formulating of guidelines for making releases under the fund, appointing Investment Manager, setting up of the investment committee for taking investment decisions, processing of applications for release	5	6

S. No.	Recom mendati on Number	Recommendation	Action Taken by the Government						Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	of funds under the scheme, etc. The releases under						5	6
			;		er the scheme ad gathered pace					
			<u>2020</u>	<u>-21</u>						
					5465, the origin	_				
	!				was reduced to				•	
		•			is two token sup	-	•			
			were	obtained under	r MH: 5465 for	the F.Y	7. 2020-2	1. The sub-		1 1
1			head	wise details of l	budget provision	ning may				
	-		la N	T	1 <del>5</del> · 1	DE		<i>(₹in crore)</i> RE		
			S.N.	Budget Head	Description	BE	BE+ Supple- mentary	KE.		
		·	1.	5465.01.190.40	National Investment and Infrastructure Fund Limited (NIIFL)	0.01	0.01	0.01		
			2.	5465.01.190.45	Strategic and Social Infrastructure Finance Corporation of	0.01	0.01	0.01		
			3.	5465.01.190.46	India(ISSIFC) Investment into National Investment and Infrastructure Fund(NIIF)	500.00	500.005	4750.00		

S. No.	Recom mendati on Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4. 5465.01.190.48 Security printing 0.01 0.01 0.01 and minting corporation of India Limited (SPMCIL)	5	6
			5. 5465.01.190.50 Special Window 0.00 0.01 916.14 for Affordable and Middle-Income Housing		
			6. 5465.01.190.51 Capital Infusion 0.00 0.005 1000.00 into NIIF Infrastructure Debt Financing Platform		
			7. 5465.01.797.02   National   13000.00   13000.00   2000.00   Investment   Fund(NIF)		
			Total 13500.03 13500.05 8666.17 (MH: 5465)		
			2. Actual Expenditure was ₹7482.72 crore under MH: 5465 resulting in savings of ₹6017.33 crore. It is also submitted that ₹12500.00 crore was provisioned as BE 2020-21 under NIF (Inter-Account transfer) (Budget Head: 5465.01.797.02) to support for Infrastructure Pipeline (Budget Head: 5475.00.800.27) which was reduced to nil provision at RE 2020-21 stage. Therefore, the savings was mainly due to non-transfer of ₹12500.00 crore owing to consequential effects of non utilisation of funds under Support for Infrastructure Pipeline.		

S. No.	Recom	Recommendation	Action	Whether	Remarks
	mendati		Taken by the	Accepted or	(if any)
	on		Government	Not by	
	Number			Government	
1	2	3	4	5	6
		3	Under MH: 5465, the original grant was ₹10750.01 crore in BE 2021-22. This was reduced to ₹9500.01 crore at RE 2020-21. Actual Expenditure was ₹4165.07 crore resulting in savings of ₹6584.94 crore. The savings was mainly due to the following reasons:-  (i) Investment into National Investment and Infrastructure Fund (Budget Head: 5465.01.190.46): - BE 2021-22 was ₹5000.00 crore, however the actual expenditure is ₹1236.93 crore resulting in savings of ₹3763.07 crore. In this connection, it is stated that the quantum of expenditure under NIIF during a year depends on the investment opportunities that may arise during the year. Therefore, a realistic estimate of requirement of funds is made in consultation with the investment manager for seeking funds in BE/RE, based on anticipated investment opportunities. Whenever any of the anticipated investment opportunities do not materialize, there is less expenditure during the financial year.  (ii) Special Window for Affordable and Middle-Income Housing (Budget Head: 5465.01.190.50): - BE 2021-22 was ₹2250.00 crore, however the actual expenditure is ₹991.21 crore resulting in savings of ₹1258.79 crore. Saving was due to less requirement of funds by portfolio companies owing to decrease in construction activity due to Second Wave of Covid.  (iii) Capital Infusion into NIIF Infrastructure Debt Financing Platform (Budget Head: 5465.01.190.51):- Investment into		

S. No.	Recom	Recommendation	Action	Whether	Remarks
ľ	mendati		Taken by the	Accepted or	(if any)
	on		Government	Not by	
	Number			Government	
1	2	3	4	5	6
			₹700.00 crore resulting in savings of ₹300.00 crore. In this connection, it is stated that the quantum of expenditure under NIIF IDF during a year depends on the investment opportunities that may arise during the year. Therefore, a realistic estimate of requirement of funds is made in consultation with the investment manager for seeking funds in BE/RE, based on anticipated investment opportunities. Whenever any of the anticipated investment opportunities do not materialize, there is less expenditure during the financial year.  (iv). National Investment Fund (Budget Head: 5465.01.797.02): - BE 2021-22 was ₹2500.00 crore, however the actual expenditure is ₹1236.93 crore resulting in savings of ₹1263.07 crore. Saving is due to consequential effects of less investments in NIIF than estimated.  2. From the above, it transpires that provisioning were made under MH: 5465 on genuine demands from the concerned Divisions. Further, expeditious scheme implementation depends on various factors such as drawing up detailed scheme implementation guidelines, selection of implementing agencies, compliance of various statutory requirements before release of funds, etc. In certain cases, sluggish responses than anticipated results into slow pick-up of the schemes. However, Hon'ble Committee's recommendation has been noted for future compliance.		
3	2	The Committee are also concerned about the limited drawdowns from the National Investment Fund (NIF) over the	The proceeds from 'disinvestment receipts' are channelled through a reserve fund, called 'National Investment Fund', in Public Account. The amount so credited to National Investment Fund	Yes	

S. No.	Recom mendati on Number	Recommendation		Action Taken by the Government		Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3		4		5	6
		years and its meagre Impact In terms of multiplier effect it was envisioned to bring in the economy i.e a significant corpus of government capital/equity investment in turn supporting a greater corpus in terms of debt	appropriation author  2. The details of pro	ised by Parliament.  oceeds realized and  NF)' for the last fo	utilized through 'National ur (4) years and budgeted		
		Investment. The Committee desire that this multiplier effect be efficiently realised and the	Year	Amount realised as disinvestment proceeds	Amount transferred to NIF and utilized therefrom		
		government make gainful use of the corpus fund as mandated.	2018-19	72619.54	78496.20		
1		the corpus rand is managed	2019-20	48234.46	58699.99		
			2020-21	29720.46	31907.61		
			2021-22 (RE)	78000.00	118863.84		
			2022-23 (BE)	65000.00	64865.00		
			Total	293574.46	352832.64		
			utilisation during the disinvestment pro Government's equite 4. At present, the properties of the prop	ne last five (5) year ceeds realized y holding in CPSUs proceeds are utilized the construction of	d towards not only further Railways, Roads, capital		
					ards development of social n and higher education.		
4	3	The Committee recommend that the output outcome be made more	Output Outcome Mo	onitoring Framewor	k (OOMF) in respect of all onsored Schemes (CSS) is	OOMF is calibrated in	

S. No.	Recom	Recommendation	Action	Whether	Remarks
-	mendati		Taken by the	Accepted or	(if any)
	on		Government	Not by	
	Number			Government	
1	2	3	4	5	6
		comprehensive and figures of	formulated by the NITI Aayog in consultation with respective	design	
		achievement of the previous two	Ministries/ Departments and DoE. The formulation of OOMF and	towards	
		or more fiscal years along with	its improvisation is an ongoing exercise and involves continuous	achievement	
		outputs and outcomes of the	process of consultation between NITI Aayog, DoE and	of outcome	
		current fiscal year be included for	administrative Ministries/ Departments. Moreover, OOMF review	through	
		better understanding and clearer	meetings are also held periodically with respective Ministries/	annual/period	
		picture of the objectives achieved.	Departments in NITI Aayog to discuss output and outcome	ic outputs	
		The Committee believe this will	indicators and progress of the schemes.	within a	
		help in understanding whether		given fiscal	
		the money spent last year for		outlay over a	
		purpose has actually achieved the		particular	
		intended objectives.		time frame.	
				Fiscal outlays	ľ
				for schemes	
	<u> </u>			have been	
				aligned with	
<u> </u>				the finance	
	İ			commission	
				cycle.	
				Budgetary	
				resources are	
				made	
				available	
				within the	
				overall fiscal	
j !				outlays in	1
				order to	
				ensure that at	
}				the end of the	
				cycle, the	

S. No.	Recom	Recommendation	Action	Whether	Remarks
	mendati	·	Taken by the	Accepted or	(if any)
	on		Government	Not by	ĺ
	Number			Government	
1	2	3	4	5	6
				desired	i
Ì				outcomes are	
				achieved.	
				This is	
				further	
				corroborated	
	·			by the end of	
				cycle mandatory	1
}				third party evaluation. In	
				view of	
				above,	
				Government	
				has not	1
				accepted the	
				recommendat	
	i			ion.	1
1	ļ		·		1
5	4	The Committee observe that the	DPE has issued Guidelines for implementation of Public Sector	Partially	One of the
		revised estimates for the	Enterprises (PSE) New policy for CPSEs in non-strategic sector	Accepted	suggestion
	,	Department of Public Enterprises	vide OM NO. DPE 3(1)/ 2021-DD dated 13th December, 2021.	•	of the
	1	for the year 2021-22 rose by Rs.	Wherein, all kinds of leasehold land of the CPSEs will be returned		Committee
		155.19 crore to Rs. 177 crore from	back to the State Government without insisting on any		is selling
1		the initial budget allocation of Rs.	compensation (if due as per lease agreement). Further, the Cabinet		the land at
		21.81 crore. It was informed that	in its meeting held on 09.03.2022 has approved for setting up of		a higher
		the sharp increase in the	National Land Monetization Corporation (NLMC) as a Special		cost after
		allocation is due to provisions for	Purpose Vehicle (SPV) for monetization of non-core assets of		developing
		setting up of Special Purpose			the land
	<u></u>	Vehicle (SPV) for monetization of	NLMC has been incorporated by DPE as a 100 percent GOI		rather than

S. No.	Recom	Recommendation	Action	Whether	Remarks
	mendati		Taken by the	Accepted or	(if any)
	on		Government	Not by	(5,
	Number			Government	
1	2	3	4	5	6
		surplus land with government	company. The NLMC will be manned by professionals and		just settling
		Ministries/ Departments and	eminent personalities from various sectors like real estate,		for the land
		Public Sector Enterprises which	banking, investment fund and constructions etc. Based on the		value. This
	,	has been initiated by DIPAM. The	nature of Land/ Assets a suitable method of monetization will be		may not be
i		Committee were further informed	adopted by the NLMC to ensure recovery of maximum value of		feasible in
		that it has been decided that once	the assets.		respect of
		the SPV is approved, the work			every land
	l	related to it shall be handled by			parcel, as it
		DPE. The Committee believe that			is
		the SPV for putting together of			envisaged
		landholdings can be a major			that such
		monetisastion opportunity and			work is
		execution of the plan remains key			better
		to its success. The Committee			taken up
		suggest selling the land at a			by the
		higher cost after developing the			buyer/
	ļ	land rather than just settling for			concession
		the land value. The added value			aire.
		holds the potential to wonderfully			
		aid the economy, given the			
		current fiscal situation and the			
		massive significant landholdings			
		possessed by the Government.			
		The Committee recommend			
		bringing in commercial/ private			
		expertise to ensure maximum			
		value out of the significant			
		landholdings. In the same vein,			
1		the Committee would like to point			
		towards the need for			

S. No.	Recom	Recommendation	Action	Whether	Remarks
	mendati		Taken by the	Accepted or	(if any)
İ	on		Government	Not by	
	Number			Government	
1	2	3	4	5	6
		development/ redevelopment of			
		land of certain PSUs and public			
		enterprises which have long been			
		shut down/ disinvested and their			
		idle land is now being encroached.			
	ł	Also, on the impasse of certain	•		
		landholdings with the state			
		governments, the Committee			
		desire that amicable solutions be			
		reached so that valuable lands			
		don't end up with no ownership			
		or no value to the Government.	TI C in last in the second distance of a limited	Accepted	<u> </u>
6	5	The Committee are of the view	The Committee has been informed that considering the limited	Accepted	
		that meeting disinvestment	disinvestment window (above 51% equity level), problem of price		
		targets is pivotal to the budget	overhang and probability of closing ongoing transactions, a more		
		and wavering from the estimates	pragmatic disinvestment target for the FY 2022-23 (BE) has been		
		may lead to quantum change in	fixed. All efforts will be made by the Department for achievement		•
		the fiscal dynamics and desire	of target. However, the market dynamics including global factors,		II
	ļ	that disinvestment becomes more	interest of investors and performance of CPSE stocks are dynamic		
		credible, purposeful and	factors that influence disinvestment transactions. Nevertheless, the	ш	
		transparent.	Government will continue to work on bottom up and pragmatic		
		_	approach to fix the disinvestment and dividend targets so that the		
		DIPAM to publish an annual	targets and actual achievement are better aligned subject to		
		report on how it has managed	uncertainties and unpredictability of the markets.		
		public assets- in particular,			
		whether DIPAM is creating value	As regards the recommendation of the Committee to publish an		
		or whether it has eroded value on	annual report on how it has managed to create value in public		
1		an annual basis for the general	assets, the CPSEs are primarily monitored by concerned		
		an annual basis for the general	abboth, the Group are primarily membersed by concerned		

S. No.	Recom	Recommendation	Action	Whether	Remarks
	mendati		Taken by the	Accepted or	(if any)
	on		Government	Not by	
	Number			Government	
1	2	3	4	5	6
		public.	Administrative Ministries and DPE publishes an Annual Public Enterprise Survey containing volumes of information on the working of CPSEs. DPE and Administrative Ministries have also a detailed process of Annual MoUs with CPSEs. DIPAM, alongwith Administrative Ministries, handles and monitors disinvestment of GoI equity and dividend receipts from the CPSEs.		
			Government agrees that periodic studies with the help of professional /academic institutions can supplement the Annual Public Enterprises Survey on the status of value creation in the CPSE space. The studies can also be undertaken at appropriate intervals how strategic disinvestment/privatization has contributed to realising economic potential of the enterprises post-privatization.	·	
7	6	The Committee note the sharp jump of 35.4% in capex to fund various Infrastructure projects in 2022-23 i.e the Government is to invest Rs.7.50 lakh crore as capital expenditure next fiscal year, a sharp increase from Rs.5.54 lakh crore in the current year. The Committee hope that the allocated fund be productively, efficiently and adequately utilised and the set target of Rs.7.50 lakh crore be fully achieved.	expenditure. Finance Minister took review meetings of major infrastructure Ministries/ Departments on Capital Expenditure plans and suggested measures to expedite infrastructure investment. Also M/o Finance conducts regular review meetings with concerned line ministries to expedite implementation of projects and rectify bottlenecks, if any. It will also monitor progress of capital expenditure and implementation of projects under National Infrastructure Pipeline (NIP) on regular basis and encourage infra ministries to front-load capital expenditure by fast-tracking implementation of infrastructure projects. Through all these mechanisms, M/o Finance will be able to push forward	Yes	

S. No.	Recom mendati on Number	Recommendation			Action Taken by tl Governmen			Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3			4			5	6
			m in ca p th	reating manufactum nvestment apital exp andemic one outlay	restment holds the key to substruct the service of	ities, enhanced es etc. Increase cycle of growth italizing the eco Accordingly, in been stepped up	demand for e in public a. Enhanced momy post- BE 2022-23, o to Rs. 7.50		
				C N-	Min/Dent /Festers	Capital outla 2022-2			
				S. No.	Min/Dept./Sectors	Amount (Rs. cr.)	%		
				1	Road Transport & Highways	1,87,744	25%		
				2	Railways	1,37,100	18%		
				3	Defence Capital	1,52,370	20%		
1				4	Telecom	54,150	7%		
				5	Special Assistance as Loan to States for Capital Expenditure	1,00,000	13%		
	-			6	Housing and Urban Affairs (Metros)	27,341	4%		
1				7	Atomic Energy	14,283	2%		
				8	Others	77,258	10%		
					Total	7,50,246	100%		
						_			

S. No.	Recom mendati on Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			This investment taken together with the provision made for creation of capital assets through Grants-in-Aid to States, the 'Effective Capital Expenditure' of Central Government is estimated at Rs. 10.68 lakh crore in 2022-23, which will be about 4.1% of GDP. This will hopefully set forth a multiplier effect in the economy on growth and employments, besides helping in creation of national assets.  2. GoI has been working towards fast-tracking of capital expenditure. Last year, Finance Minister took review meetings of major infrastructure Ministries/ Departments on Capital Expenditure plans and suggested measures to expedite infrastructure investment, which are provided below  i. Ministries to front-load their capital expenditure to achieve more than their CAPEX targets and efforts need to be complemented by the Public Sector Enterprises  ii. Ministries to actively work on getting projects funded through innovative structuring and financing and provide all support to private sector for enhancing infrastructure spending, including exploring Public Private Partnership mode for viable projects.  iii. Ministries to push expenditure on large important projects to ensure that the achievement is commensurate with timelines and to take up regular reviews of sector-specific projects with State Governments for effective implementation of the same.  3. Regular review meetings by line Ministries and Cabinet Secretariat have been undertaken. Also M/o Finance conducts	2	
			regular review meetings with concerned line ministries to expedite implementation of projects and rectify bottlenecks, if any. It will		

S. No.	Recom mendati on Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			also monitor progress of capital expenditure and implementation of projects under National Infrastructure Pipeline (NIP) on regular basis and encourage infra ministries to front-load capital expenditure by fast-tracking implementation of infrastructure projects.  4. Through all these mechanisms, M/o Finance will be able to push forward infra spending and achieve capex of over 100% of the BE similar to FY 2021-22.		
8	7.	"The Committee desired that there should be seamless flow of funds which are allocated to the State under various announcements/schemes from the Centre as sound public finances are a precondition for sustained growth. In this regard, the Committee would like to highlight the issue faced by State Governments while borrowing from Government of India to facilitate procurement of paddy from farmers. Due to provisional advance subsidy not being provided on time, the States later end up paying interest on the said borrowing without any reimbursement. Ensuring transparency and fixing responsibility is required to reach	Release of Food Subsidy to States which have adopted Decentralized Procurement Operation (DCP) and Food Corporation of India (FCI) is dealt with by the Department of Food and Public Distribution (DFPD). States are allocated food grains at subsidized rates under National Food Security Act (NFSA) and Other Welfare Schemes (OWS). Difference between Economic Cost and Central Issue Price (CIP), at which food grains are issued to non-DCP States, is reimbursed to FCI as food subsidy. Further, FCI also releases funds to non-DCP States for quantum of food grains received by FCI from them. In case of DCP States, food subsidy is directly released to States by Government of India for quantity of food grains procured and distributed by them under NFSA and OWS. DCP States submit quarter-wise subsidy bills of previous/current quarter for reimbursement of funds incurred by them for implementation of DCP scheme. The provisional/advance claims received from State Government are processed keeping in view the opening and closing balance of stocks, procurement, allocation and distribution of food grains, FCI reconciliation, Utilization Certificate, Economic Cost of food grains etc., among others.	Mechanism is place for smo funds for profoodgrains.	oth flow of

S. No.	Recom	Recommendation	Action	Whether	Remarks
1	mendati		Taken by the	Accepted or	(if any)
	on		Government	Not by	(
	Number			Government	
1	2	3	4	5	6
		a systemic solution to the problem so that the objects of the scheme can be effectively attained. Fund released to States under various heads by the Central government and the Finance Commission should be clarified and provided in the public domain in a transparent fashion for the general public."	The provisional/advance subsidy is released without waiting for final audited accounts. To ensure distribution of food grains among vulnerable sections of society, timely food subsidy (as allocated by Ministry of Finance) is released by DFPD. The provisional subsidy comprises 100% of Fixed Cost (Cost associated with MSP, Statutory Charges, Milling Charges) and up to 95% of rest of procurement incidentals such as Transportation, Interest, Gunny, Labour Charges, Storage Charges etc. For claiming the remaining subsidy, DCP States are required to submit their final accounts for concerned Kharif Market Season (KMS)/Rabi Market Season (RMS) and the balance subsidy, if any, is released.  Food Subsidy released to FCI and DCP States by DFPD during five years is as per Annexure-II and III, which is provided in the public domain through replies to RTI applications and Parliament Questions.	3	
9	8.	The Committee observe that the BE on Interest Payments (on net basis) has risen by Rs. 130949.7 crore from Rs. 809701.32 crore BE (2021-22) to Rs. 940651.02 crore i.e an increase of 16.17%. The Committee were informed that this higher provision has been incorporated owing to higher volume of borrowing through issuance of government securities coupled with the	In the Budget 2021-22 speech, the Government has announced to reach a fiscal deficit level below 4.5% of GDP by 2025-26. Accordingly, the Government is pursuing a broad path of fiscal consolidation. Fiscal deficit in BE 2022-23 has been pegged at 6.4% of GDP, lower than 6.9% of GDP in RE 2021-22. Proposed fiscal consolidation will also help to bring down debt/GDP ratio.	Accepted	

S. No.	Recom mendati on Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		anticipation of policy action from RBI which may result in hardening of yield. The Committee would like to emphasize on the need for measures that need to be undertaken at the earliest to rein in interest payments. The Committee feel that it is cardinally important to bring down the fiscal deficit and efficiently manage the soaring Debt-GDP ratio so that the economy can stay on the path of fiscal stability.			
10	9	The Committee observe, at the outset that the banking system appears to have weathered the pandemic shock well with respect to Non-Performing Assets. (NPAs). The Committee are Informed that contrary to RBI's Financial Stability Report projections of the gross NPA ratio of Scheduled Commercial Banks Increasing from 7.48 percent in March, 2021 to 9.80 percent by March, 2022, the NPA figures at the gross level for Public Sector Banks have	NPA management of the banks is a crucial pillar in the financial health of the system as a whole. It instills discipline in borrowers and brings about a credit culture ethos that is conducive for the economy as a whole. Banks have as a continuous process implemented various measures for effective NPA management which are as below.  i. classification of accounts as special mentioned accounts (SMA) for early recognition of signs of incipient stress resulting in default in timely servicing of debt obligations, enabling banks to initiate timely remedial actions to prevent their potential slippages into NPAs; ii. institution of comprehensive, automated Early Warning Systems (EWS) in banks, with ~80 EWS triggers, using third-party data and workflow for time-bound remedial	Accepted	Nil

S. No.	Recom	Recommendation	Action	Whether	Remarks
	mendati		Taken by the	Accepted or	(if any)
	on		Government	Not by	
	Number			Government	
1	2	3	4	5	6
		decreased from 9.11 percent as	actions, to proactively detect stress and reducing slippage		
		on 31 March, 2021 to 7.90	into NPAs;		
	:	percent as on 31 December, 2021.	iii. Reserve Bank of India's (RBI) extant instructions issued		
		The Committee would like to	under "Master Directions on Frauds" provide an		
		caution against any early	indicative list of 42 Early Warning Signals (EWS) for		
		euphoria on this count, as there	guidance of banks, and banks have been advised to choose		
	!	may still be some lag impact of	to adopt or adapt the relevant signals from the list and also		
		the pandemic for the banking	include other alerts/signals based on their experience,		
		sector in the pipeline. Absorbing	client profile and business models.		
		excess liquidity that was injected	iv. The status/level of implementation of the EWS		
		as part of the pandemic response	framework and its effectiveness is assessed by RBI during		
		to stimulate the economy is	the supervisory process. In case of any gaps/deficiencies		
		necessary, as there may be the	observed by RBI, during the supervisory process, it		
		possibility of an increase in	follows up with the banks for compliance/rectification.		
		NPAs. The Committee feel that	v. repayment behavior of borrowers in their loan accounts is		
	i	prudence is still required and the	reported to credit information companies (CICs), and		
		steps taken by the Government to	banks include these information in the credit appraisal and	Į.	
		reduce NPAs and to effect	decision making process for further sanctioning of loans		
		recovery such as the change in	to borrowers.		
	!	credit culture brought about by	Due to all the manner taken by the head of the Amba		
	·	Insolvency and Bankruptcy Code	Due to all the measures taken by the banks the gross NPAs of		
		(IBC), amendment of	Scheduled Commercial Banks, as per RBI data on global		
1		Securitization and	operations, have declined from Rs. 8,35,501 crore (GNPA ratio of		
		Reconstruction of Financial	7.33%) as on 31.3.2021 to Rs. 7,73,470 crore (GNPA ratio of		
		Assets and Enforcement of	6.39%) as on 31.12.2021.		
		Security Interest (SARFAESI)	T d d DDA CDOD C 1111		
		Act to make it more effective,	Further, the gross NPAs of PSBs for which data is available at		
		action against wilful defaulters by	present, have declined from Rs. 6,16,616 crore (GNPA ratio of		
		RBI and SEBI, increasing	9.11%) as on 31.3.2021 to Rs. 5,43,498 crore (GNPA ratio of		
		Jurisdiction of Debt Recovery	7.31%) as on 31.3.2022. The data is as per the latest audited		
			balance sheets of the PSBs.		

S. No.	Recom mendati on Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		Tribunals, government Infusion to supplement the raising of capital by PSBs to equip them to take decision on resolution of NPAs etc. should be continued with the same vigour.	To mitigate the adverse impact of the pandemic over the financial system RBI has announced various regulatory measures, while not Iosing sight of the financial stability and prudential considerations, which inter alia permitted lenders to restructure stressed accounts on account of Covid-19, within the ambit of the Resolution Frameworks 1.0 and 2.0 released on 6.8.2020 and 5.5.2021 (partly modified on 4.6.2021) respectively, while continuing to classify the accounts as 'Standard'. These Frameworks were designed with sufficient safeguards and well-defined boundary conditions in the form of strict eligibility conditions, pre-defined expiry clauses, provisions for external validation regarding viability of the resolution plans, moratorium cap of two years, strict post-restructuring monitoring conditions etc.  RBI has apprised that the real stress in the loan accounts where the Resolution Plans have been implemented under the above Frameworks may manifest only after the initial moratoria expire and regular repayments commence. Further, the Government has expanded the scope and quantum of the Emergency Credit Line Guarantee Scheme several times, with the sunset date postponed to 31.3.2023. As the sovereign support available under the scheme would have enabled many firms to tide over the stress temporarily, the exact credit profile of such entities would become clear only as the support unwinds. Consequentially, a clear picture of the asset quality of the lending institutions will emerge as the impact of the above mentioned measures start to recede. RBI has stated that hence, it is imperative for the banks not to be complacent and address the emerging stress in such accounts early, distinguishing between viable from non-viable firms. The mechanisms for the same could range between formal bankruptcy	-	

S. No.	Recom mendati on Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	proceedings to more informal and expedited out-of-court arrangements. The framework under the IBC and the other extant statutory resolution mechanisms if effectively leveraged will play a significant role in this regard.	5	6
11	10	The Committee understand that the EXIM Bank provides financial assistance to exporters and Importers and functions as the principal financial Institution for coordinating the working of Institutions engaged in financing export and Import of goods and services with a view to promoting the country's International trade. The Committee are of the opinion that the EXIM bank should be adequately equipped with credit skills and sufficiently capitalized in the light of the current geopolitical situation, so as to efficiently compete with other countries such as China in financing projects across countries especially in Africa and facilitate globalization of Indian businesses, which will go a long way in making a difference to	Exim Bank has been capitalized sufficiently during the past few years. Government has infused capital by way of direct equity contribution, and by way of issuing Special Government of India (GOI) Securities. Over last five years, an amount of ₹9,050 crore has been infused as capital in Exim Bank by GOI including ₹750 crore in the FY 2021-22. The same may be corroborated by looking at Capital Adequacy Ratio of the Institution which, at the end of FY 2021-22, stood at 30.49 percent as against minimum requirement of 9 percent stipulated by Reserve Bank of India	Accepted	Nil

S. No.	Recom mendati on Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		Indian companies with global aspirations.	Further, Exim Bank employs staff comprising management graduates, chartered accountants, bankers, economists, documentation experts, engineers, linguists, and IT Specialists to look after different verticals and functions of the Bank. The Bank organizes various training programmes for its staff facilitating continuous upgradation of skills of its staff. Officers are also nominated for customized training programmes and seminars including e-learning, aimed at enhancing skill sets for the specialized portfolios.		
12	11	The Committee understand that NaBFID has been established to address market failures that stem from the long term, low margin and risky nature of Infrastructure financing which needs patient capital. The Committee are informed that Rs.20000 crore has been given as equity support and another Rs 5000 crore will be given as grant and are further informed that in the first quarter of the next fiscal, loans will be sanctioned. The Committee would like to emphasize on the need for providing NaBFID with sufficient equity capital for it to borrow and expand its balance sheet appropriately and provide debt financing for Infrastructure projects. The Committee believe	Capital support of ₹20,000 crore has been released to the Institution on 31.1.2022 as part of budgetary allocation. Further, in terms of section 21 (2) of the National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021, a grant of ₹5,000 crore has also been released on 31.3.2022 in lieu of potential savings from issuance of tax-free bonds.  As informed by National Bank for Financing Infrastructure and Development, with the support of above grant and existing capital, as per the extant All India Financial Institution (AIFI) guidelines of Reserve Bank of India (RBI) and based on the rating of borrower, the Institution could build fund & non-fund portfolio of about ₹2,00,000 crore over a period of time.	Accepted	Nil

S. No.	Recom	Recommendation	Action	Whether	Remarks
	mendati		Taken by the	Accepted or	(if any)
	on		Government	Not by	•
	Number			Government	
1	2	3	4	5	6
		that it is essential to achieve the			
		objective with which the			
		Development Finance Institution			
		(DFI) has been set up in the first			
i l		place i.e. to support the			
		development of long-term non-			
		recourse infrastructure financing			
		in India, including development of			
		the bonds and derivatives			
	1	markets necessary for			
		Infrastructure financing and to			
		carry on the business of financing			
	_	infrastructure.			
13	12	The Committee note that the	In pursuance to the budget announcement to set up 75 Digital	Accepted	Nil
		Government has proposed setting	Banking Units (DBUs), a 'Committee for establishment of DBUs'	·	
	l	up 75 Digital Banking Units	was set-up by RBI to outline a roadmap for establishment of		
		(DBU) in 75 districts across India	DBUs. DBUs will be specialized fixed-point business units having		
		through Scheduled Commercial	digital infrastructure for delivering digital banking products &		
1 1		Banks in an attempt at a major	services in both self-service and assisted mode in an efficient,		
1		push towards the growth of	paperless, secured and connected environment. Based on the		
	•	digital economy. DBUs have the	recommendations of the Committee of RBI, the guidelines on		
		potential to open up the rural	'Establishment of Digital Banking Units' were issued vide RBI		
		market for service providers	circular dated 7.4.2022 and is available in Public Domain. The		
1		besides providing a boost to	circular provides the details of the range of services that will be		
		credit flow, as they would be	offered in a DBU. In addition to ensuring physical security of the	}	
		cheaper to establish and provide	infrastructure of the DBU, all banks have been advised to ensure		
		better customer experience added	adequate safeguards for cyber security of the DBUs. The circular		
		by technology. The Committee	inter alia requires the DBUs to create awareness among their		
		further note the announcement	customers by offering hands on customer education on safe digital	1	
		that hundred percent of 1.5 lakh	banking practices and customer grievance redressal mechanism.		

S. No.	Recom mendati on Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		post offices will come on the core banking system enabling financial Inclusion and access to accounts through net banking, mobile banking, ATMs and will also provide online transfer of funds between post office accounts and bank accounts which will enable Interoperability and enhance financial Inclusion. The Committee take note of these steps towards enhancing the digital Infrastructure and financial Inclusion but recommend these to be supplemented with adequate awareness programmes so that the citizens don't fall prey to the rising number of online frauds, and they are safeguarded from unauthorised electronic banking transactions. Whenever such digital frauds are reported by the victims, the onus for prompt redressal should be on the concerned bank/financial Institution and the customer should not be left in the lurch running from pillar to post for	As per the information received from RBI, the services offered by DBUs will be covered under the scope of the Reserve Bank - Integrated Ombudsman Scheme (RB-IOS), 2021 and the customers can approach CMS portal for grievance redressal.  Reserve Bank - Integrated Ombudsman Scheme (RB-IOS), 2021 provide cost-free redressal of customer complaints involving 'deficiency in services' including the unauthorised electronic fund transfer rendered by entities regulated by RBI, if not resolved to the satisfaction of the customers or not replied within a period of 30 days by the Regulated Entity (RE). There is no limit on the amount in a dispute that can be brought before the Ombudsman for which the Ombudsman can pass an Award. However, for any consequential loss suffered by the complainant, the Ombudsman shall have the power to provide a compensation up to Rs.20 lakh, in addition to, up to Rs.1 lakh for the loss of the complainant's time, expenses incurred and for harassment/mental anguish suffered by the complainant. The complaints under the Scheme made online shall be registered on the Complaint Management System (CMS) portal ( <a href="https://cms.rbi.org.in">https://cms.rbi.org.in</a> ). The RE will not have the right to appeal in cases where an Award is issued by the Ombudsman against it for not furnishing satisfactory and timely information/documents.  Onus of the prompt redressal of the grievances will be guided by the RBI circular dated 6.7.2017 which lays down guidelines on limiting the liability of customers in unauthorised electronic banking transactions stating that the burden of proving customer liability in case of unauthorised electronic banking transactions shall lie on the bank.		

S. No.	Recom mendati on Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
		grievance redressal. The Banking ombudsman under the aegis of RBI should play pro-active and customer-friendly role in this regard.	RBI and Offices of RBI Ombudsmen are engaged in customer awareness on the following areas:  (a) Making customer aware of RBI instructions on frauds in electronic banking transactions by having a re-run of the campaigns on its regulations limiting the liability of customers in fraudulent electronic banking transactions;	_	
			(b) Making customer aware of the RB-IOS as an integrated ombudsman scheme for all the customers of digital financial services offered by entities regulated by RBI (bank as well as non-bank payment system participants);		
			(c) A multi-media campaign on RB-IOS, 2021 is being carried out at Pan-India level;		
			(d) Campaigns on Safe Digital Banking focusing on UPI frauds and AEPS are also being carried out. All these campaigns are aired on Doordarshan and All India Radio, and in other national/local dailies to help in reaching the rural areas. These campaigns also form a part of the popular TV series "Kaun Banega Crorepati", which is widely watched by public in rural areas.		
			75 locations have been finalized by RBI in consultation with IBA. All the DBUs identified are in advance stages of being operationalized. It is envisaged that DBUs will primarily help in creating awareness and lessening the hesitation among customers towards availing digital financial services along with deepening of the digital financial inclusion in the country. As a part of promoting cyber security awareness, it is mentioned that the Bank operating a DBU will take following measures for increasing the awareness and imparting cyber education to the customers:		

S. No.	Recom mendati on Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6
			<ul> <li>(i) Educate the Customers visiting the DBU not to share sensitive details of their accounts &amp; Cards, login credentials, PIN etc. to unknown persons by displaying Banners in DBU and messages through Mobile Apps, WhatsApp, SMS and Email etc.</li> <li>(ii) Conduct Cyber Security awareness on phishing, hacking, spoofing, smishing, Denial of Service attack etc. may be spread through electronic media in vernacular language. Customer will be made aware for Do's and Don'ts when they visit the Digital Banking Unit- DBU.</li> <li>(iii) Cyber Security Video on DBU ATM screens or on the video wall installed in DBU lounge</li> <li>(iv) Random quiz in DBUs on cyber security awareness</li> <li>(v) Guidance on customer grievance redressal procedures on digital frauds.</li> </ul>		
14	13	The Committee further desire that wide publicity may be provided for the grievance redressal mechanism for facilitating better customer service and instilling trust in the users as a large proportion of population has initial inhibitions and apprehensions in making the shift towards digital economy. The systems and procedures need to be strengthened so that online frauds are minimised and in case of an online mishap the citizens need to be adequately aware and	RBI has informed that its Department of Communication has been regularly carrying out Public Awareness Campaigns on monthly basis - by way of thematic multi-media campaigns, participation in unique properties on television, and social media campaigns. These campaigns are done through various channels such as television, radio, cinema theatres, websites, SMS, hoardings, print medium, Twitter, Facebook etc. Selection of all these campaigns in various channels is done keeping in view the viewership in the rural areas.  Recently, RBI did campaigns on Financial Literacy Week under the umbrella name 'go digital, go secure'. A multi-media campaign on RB-IOS, 2021 was also carried out to convey the process of grievance redressal mechanism. Various other multi media campaigns and social media campaigns conducted by RBI	Accepted	Nil

S. No.	Recom mendati on Number	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by Government	Remarks (if any)
1_	2	3	4	5	6
		informed through wide publicity via prominent advertisements, street plays, seminars, posters etc. especially in rural areas as to what their course of action should be to minimise their liability and be assured that their money is safe for the Indian economy to make a significant shift towards being digital.	include, inter alia, a 360° campaign on Banking Ombudsman, a multi-media campaign on Banking Facilities for Senior citizens, Customer's Limited Liability, Safe Digital Banking, Cyber Security, Digital Payments Awareness Week, Setting limits on Cards, Convenience of Digital Banking, Fictitious offers, Identity thefts, registering mobile number and email with bank, Caution message against unauthorised digital lending platforms/ mobile Apps, fraudulent calls/messages offering KYC Updation, nonsharing of OTP, PIN and bank account details etc.		

## Annexure-II

Food subsidy released by DFPD to FCI and States operating the Decentralized Procurement Scheme during previous five years and current financial year:

(Rs. in crore)

	_	FCI	DCP States	
Year	Actual subsidy released*	Net subsidy released after adjustment of NSSF Loan	ter adjustment of Released	
	(1)	(2)	(3)	(4 = 1+3)
2017-18	*101981.69	61981.69	38000	139981.69
2018-19	*140098.00	70098	31029.49	171127.485
2019-20	*119164.02	75000	**44944.35	164108.37
2020-21	462789.00	##462789.00	66901.77	529690.77
2021-22	208929.00	208929.00	79789.54	288718.54
2022-23	25000.00	25000.00	16.54	25016.54
(as on 31.5.2022)				

<sup>\*</sup>Includes an amount of NSSF loan of Rs.40,000 crore in FY 2017-18, Rs.70,000 crore in FY 2018-19 & Rs.44,164.02 crore in FY 2019-20.

##Out of Rs.4,62,789.00crore, Rs.3,39,256.00 crore were utilized for repayment of entire NSSF Loan of FCI on 31.03.2021

<sup>\*\*</sup>The RE, 2019-20 was Rs.33,508.35crore. Total release includes Rs.11,436crore released to DCP states (from NSSF loan to FCI) & equivalent amount was reimbursed to FCI during FY 2020-21from DCP head.

Annexure-III

Statement showing the subsidy released to DCP States during the last 5 years:

(Rs.in crore)

S. No.	Name of the State	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	Andhra Pradesh	6060.17	4542.57	7404.42	8424.72	9323.38
2	Bihar	4535.11	2291.68	2535.71	4117.33	7671.90
3	Chhattisgarh	4272.36	3303.19	4628.11	7193.13	9047.77
4	Gujarat	-	9.31	69.03	9.24	749.43
5	Karnataka	166.95	417.53	205.79	323.99	1682.12
6	Kerala	782.06	620.23	469.30	1214.98	1777.86
7	Madhya Pradesh	8113.23	6026.97	8888.39	11946.44	14420.62
8	Maharashtra	583.66	0.00	1920.17	2555.74	4082.07
9	Odisha	5133.57	4651.01	5807.45	8985.73	7892.69
10	Punjab	796.33	1722.33	1612.09	1761.53	2047.53
11	Tamil Nadu	651.70	1136.61	3242.79	3109.76	6250.93
12	Telangana	3853.71	2559. 31	4858.89	6879.59	7665.02
13	Uttarakhand	860.11	329.8	903.12	1371.33	1554.43
14	West Bengal	2042.30	3279.69	2194.86	8792.03	5421.34
15	Jharkhand#	-	-	-	3.66	-
16	Tripura	-	-	-	29.79	15.58
17	DBT	148.74	139.25	204.24	182.78	186.87
	Total	38000	31029.48	44944.36	66901.77	79789.54

<sup>#</sup> Jharkhand was DCP for KMS 2016-17 (only for 1district) 2017-18 (only for 5 District), 2018-19 (only for 6 District). They have adopted Non-DCP in KMS 2019.